प्रपत्र सं. क्रभनि-पी-102

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
क्रय एवं भंडार निदेशालय/Directorate of Purchase & Stores

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से निदेशक, क्रय एवं भंडार, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, क्रेता के निविदा विनिर्देशों में दी गई भंडार सामग्री की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करते हैं । निविदाकरण की शर्तें अनुभाग-ए में दी गई हैं तथा निविदा के बाद दिए जाने वाले ठेके को शासित करने वाली शर्तें प्रपत्र संख्या क्रभनि/पी/100 में दी गई हैं जो इस निविदा दस्तावेज़ के भाग-बी में है । यदि आप कोट करने के इच्छुक हों तो, कृपया इस दस्तावेज़ की विषय-वस्तु को, ख़ासकर, निविदाकरण शर्तों को ध्यान से पढ़ें तथा कोटेशन, अंतिम तारीख और निर्दिष्ट समय से पहले ऑनलाइन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

आपसे अनुरोध है कि आप, इसमें दिए गए तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार अपना कोटेशन तथा संलग्न प्रपत्र क्रभनि-पी-102ए के अनुसार, मुहर सहित हस्ताक्षरित वचनबद्धता की स्कैन प्रति ऑनलाइन अपलोड करें ।

निविदा की हार्ड प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी ।

भवदीय

सहायक क्रय अधिकारी/क्रय अधिकारी
भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से (क्रेता)

अनुभाग-ए
निविदाकरण शर्तें

1. निविदाकरण शर्तें (भारतीय रुपया मुद्रा या अन्य मुद्रा (करंसी) में बोलियों के लिए कॉमन)

2. निविदाएं प्रस्तुत करने का तरीका तथा पद्धति

2.1 निविदा पर तभी विचार किया जाएगा जब वह ऑनलाइन प्राप्त हुई हो ।

3. **कीमत**

3.1 कोट की गई कीमत **निश्चित** होनी चाहिए और ऐसी निविदाओं को वरीयता दी जाएगी ।

3.2 अपवादात्मक मामलों में (उदाहरणार्थ वे मदें जिनमें ऐसी कच्ची सामग्री का काफी इस्तेमाल होता है, जिनकी कीमत में काफी उतार-चढ़ाव होता रहता है) यदि उतार-चढ़ाव के मद्देनज़र कीमत कोट की गयी हो तो वह 'कीमत में अंतर संबंधी मानक फार्मूला' के आधार पर होनी चाहिए । गणना का आधार स्पष्ट रुप से उल्लिखित किया जाना चाहिए । विक्रेता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कीमत में अंतर संबंधी दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करे । जो निविदाएं, कीमत में चढ़ाव की विशिष्ट सीलिंग सहित होंगी, उन्हें वरीयता दी जाएगी ।

4. **सशर्त छूट**

4.1 निश्चित अवधि के अंदर या निश्चित भुगतान शर्तों, सुपुर्दगी, मात्रा आदि पर कोटेशन स्वीकार करने संबंधी सशर्त डिस्काउंट निविदाकार द्वारा अपनी कोटेशनों में यदि प्रस्तावित किया जाता है, तो उनकी कोटेशन का मूल्यांकन करते समय क्रेता द्वारा ऐसे सशर्त डिस्काउंट पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5. **निविदा की वैधता**

5.1 निविदा खुलने की तारीख से न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव वैध होने चाहिएं ।

6. **सुपुर्दगी सारणी**

6.1 विक्रेता, निविदा के अंतर्गत बताई गई भंडार सामग्री की आपूर्ति की यथार्थपरक सुपुर्दगी अवधि का उल्लेख करे । कोट की गई सुपुर्दगी अवधि का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए ।

7. **जाँच प्रमाण पत्र**

7.1 जहाँ कहीं भी जाँच तथा जाँच प्रमाण पत्र की माँग, क्रेता द्वारा की गई हो वहां ठेकेदार द्वारा जाँच करवाई जानी चाहिए तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके लिए किसी अतिरिक्त राशि की माँग नहीं की जानी चाहिए ।

8. **निविदा खोलना**

8.1 निविदाएं, खुलने के बाद, प्रतिभागी निविदाकारों द्वारा, ऑनलाइन देखी जा सकती हैं ।

9. क्रेता की निविदाकरण तथा ठेके की शर्तों का पालन करना

9.1 विक्रेता की, मुद्रित सायक्लोस्टाइल की हुई या अन्य निबंधन एवं शर्तें, जो निविदा के मुख्य भाग में दर्शाई न गई हों, उनकी निविदा के भाग के रूप में नहीं मानी जाएंगी । विक्रेता, 'निविदा आमंत्रण, निविदाकरण एवं ठेकाकरण शर्तों' के आधार पर कोट करें ।

10. **छुट्टी की घोषणा**

10.1 यदि, निविदा प्राप्त करने तथा खोलने की तारीख (तारीखों) को, किन्हीं प्रशासनिक कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अचानक छुट्टी घोषित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में निविदा प्राप्ति / खोलने की नियत तारीख (तारीखें) स्वत: ही स्थगित होकर 'अगला कार्य दिवस' हो जाएगी (जाएंगी) ।

11. **ठेके को शासित करने वाली शर्तें**

11.1 इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि इस निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप किया गया कोई भी ठेका, पृष्ठ 17 पर संलग्न प्रपत्र सं. क्रभनि-पी-100 में भंडार सामग्री की आपूर्ति के संबंध में उल्लिखित 'ठेके की सामान्य शर्तों/ठेके की विशेष शर्तों' द्वारा शासित होगा । इसलिए विक्रेता द्वारा 'ठेके की सामान्य शर्तों/ठेके की विशेष शर्तों' पर भली-भांति ग़ौर किया जाना चाहिए तथा अपवादात्मक मामले में, यदि किसी भी प्रकार का विचलन चाहा जाता है, तो निविदा प्रपत्र के साथ अनुलग्नक जोड कर, निविदा में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया जाना चाहिए ।

12. **संस्थापन तथा कमिशनन**

12.1 जिन मामलों इन्स्ट्रुमेंट/उपस्कर का विक्रेता द्वारा संस्थापन तथा कमिशनन या संस्थापन तथा कमिशनन का पर्यवेक्षण किए जाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है, उन मामलों में विक्रेता द्वारा स्पष्ट रूप से भंडार की आपूर्ति की कीमत और संस्थापन तथा कमिशनन के लिए या संस्थापन तथा कमिशनन के पर्यवेक्षण के लिए, जो भी मामला हो, प्रभार अलग से कोट किया जाना चाहिए तथा शर्तें भी लिखी जानी चाहिए । भंडार की कीमत में संस्थापन तथा कमिशनन प्रभार शामिल नहीं किया जाना चाहिए । (संस्थापन तथा कमिशनन हेतु प्रभार या संस्थापन तथा कमिशनन के पर्यवेक्षण हेतु प्रभार कीमत बोली में उचित स्थान पर कोट किया जाना चाहिए)

12.2 ऐसे ठेके के मामले में, जिसमें ओवरसीज़ विक्रेताओं द्वारा संस्थापन तथा कमीशनन किया जाना शामिल हो और विक्रेता द्वारा उसके लिए अलग से पहचान योग्य प्रभार कोट किए गए

हों, उन मामलों में विक्रेता को भारत में लागू आयकर अधिनियम के अधीन, कार्य की जिम्मेदारी लेते समय प्रचलित दर के अनुसार आयकर देयता वहन करनी होगी । यह दर वर्तमान में संस्थापन तथा प्रचालन प्रभार का 20% है ।

12.3 जब ठेके के कार्यक्षेत्र में संस्थापन तथा कमीशनन शामिल हो, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि क्रेता द्वारा जब भी संस्थापन तथा प्रचालन के लिए कहा जाए, तब वह ऐसा करे ।

13. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय एजेंटों के प्रस्ताव

13.1 यदि, अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता/विदेशी प्रिंसिपल की ओर से भारतीय आपूर्तिकर्ता/भारतीय एजेंट द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज **अपलोड** किए जाने चाहिएं, ऐसा न करने पर उनके प्रस्ताव को अनदेखा किया जा सकता है :

13.2 विदेशी प्रिंसिपल तथा भारतीय एजेंट के बीच किए गए एजेंसी करार की फोटो प्रति जो देय एजेंसी कमिशन का प्रतिशत या मात्रा दर्शाए, तथा विदेशी प्रिंसिपल की ओर से भारतीय एजेंट द्वारा निविदा प्रस्तुत किए जाने के लिए विदेशी प्रिंसिपल द्वारा भारतीय एजेंट को दिया गया प्राधिकार पत्र ।

13.3 भारतीय एजेंट द्वारा जो 'बिक्री पश्चात् सेवाएं' प्रदान की जानी हैं, उनका प्रकार तथा स्वरूप ।

13.4 भारतीय एजेंटों को इस निविदा के लिए केवल एक विदेशी प्रिंसिपल/आपूर्तिकर्ता की ओर से दर कोट करने की अनुमति है ।

13.5 तथापि, प्रस्ताव की स्वीकृति विदेशी प्रिंसिपल को ही सीधे संप्रेषित की जाएगी ।

14. पिछला निष्पादन

14.1 यदि, विक्रेता का पिछला निष्पादन गुणता, सुपुर्दगी, वारंटी दायित्वों तथा ठेके की निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने के संदर्भ में संतोषजनक नहीं पाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्रेता द्वारा उनका प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है ।

15. क्षमता तथा वित्तीय स्थिति

15.1 यदि यह पाया जाता है कि विक्रेता के पास अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं, क्षमता, सक्षमता नहीं है तथा उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता द्वारा निविदा अस्वीकार की जा सकती है ।

16. **निर्यात लाइसेंस**

16.1 विदेश में निर्मित सामग्री के लिए कोट करने वाले आपूर्तिकर्ता की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह पोत परिवहन की व्यवस्था करने से पहले, संबंधित सरकार से यथा-आवश्यक निर्यात अनुमति/अनुज्ञप्ति/प्राधिकार प्राप्त करना सुनिश्चित करे । सामग्री की आपूर्ति के बाद किसी विदेशी एजेंसी/प्राधिकारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण किया जाना विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा । अत: यह आवश्यक है कि विदेश में निर्मित सामग्री की आपूर्ति प्रस्तावित करने वाले विक्रेता को उन देशों में लागू निर्यात नियंत्रण नियमनों का पूरा ज्ञान हो ।

16.2 जिस देश में मूल रूप से सामग्री निर्माण की गयी है उस देश की सरकार/लाइसेंस देने वाली एजेंसी को विक्रेता/उनके विदेशी प्रिंसिपल द्वारा, निर्यात अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान कोई 'अंतिम उपयोग घोषणा' प्रस्तुत की गयी हो, जिसके फलस्वरूप कोई वैधानिक उत्तरदारयित्व बनता हो तो विक्रेता, क्रेता को उन वैधानिक उत्तरदायित्वों से बचाएगा । 'आपूर्ति उपरांत निरीक्षण' क्रेता के ठेके के निबंधन एवं शर्तों के विपरीत है अत: अस्वीकार्य है ।

17. **अंतिम प्रयोक्ता कथन**

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिनांक ---------- के हमारे क्रय आदेश सं. ---------- के तहत मेसर्स ---------- से खरीदी जाने वाली ---------- मद/मदों का उपयोग ---------- के लिए किया जाएगा ।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इन मदों का प्रयोग किसी रसायनिक, जैविक, नाभिकीय या जन संहारक शस्त्रों के अभिकल्पन, विकास, निर्माण या परीक्षण में या उससे जुड़ी गतिविधि में नहीं किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हम संबंधित प्राधिकारियों से यथाआवश्यक पूर्व अनुमति लिए बगैर, इस मद/इन मदों का पुन: निर्यात नहीं करेंगे ।

18. **देश, जिसमें मूल रूप से सामग्री निर्माण की गयी हो**

18.1 जब भी निविदाएं, आयातित भंडार के लिए हों तब, आपूर्ति के लिए प्रस्तावित भंडार सामग्री जिस देश में मूल रूप से निर्माण की गयी हो उस देश का नाम तथा आपूर्ति के लिए प्रस्तावित भंडार के विनिर्माता का पता प्रस्ताव में उल्लिखित होना चाहिए ।

19. **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत वर्गीकृत 'प्रतिबंधित सूचना' तथा सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 5 के तहत सरकारी गोपनीयता**

19.1 ठेकेदार या उसके उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार या कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर, उपरोक्त विधान के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रण मिलेगा ।

20. **परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का प्रयोग प्रचार के उद्देश्य से, बिना अनुमति के करने पर प्रतिबंध :**

20.1 ठेकेदार या उसके उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार या कर्मचारियों द्वारा किसी भी जन सूचना माध्यम जैसे प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन या इंटरनेट से प्रचार के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का प्रयोग, क्रेता के पूर्व लिखित-अनुमोदन के बगैर नहीं किया जाना चाहिए ।

21. **गोपनीयता**

21.1 क्रेता द्वारा इस निविदा अथवा ठेके के संबंध में दिए गए आरेखों, विनिर्देशनों, आदिरूपों, नमूनों या किसी भी अन्य पत्राचार/ ब्यौरा/सूचना आदि को ठेकेदार गुप्त रखेगा और क्रेता की, लिखित पूर्व-सहमति के बगैर यह किसी अन्य व्यक्ति/फर्म के सामने न तो प्रकट करेगा और न देगा । यह खंड, ठेकेदार के उप-ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा ।

22. **क्रेता की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन**

22.1 ठेकेदार को क्रेता के, वर्तमान में लागू सुरक्षा नियमों तथा नियमनों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी जैसे पुलिस और अन्य प्राधिकारियों से सत्यापन करवाना तथा क्रेता द्वारा जब भी प्राधिकृत किया जाए तब क्रेता के परिसर में प्रवेश करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति लेना ।

23. **निविदाओं के परिणाम**

23.1 असफल विक्रेताओं को उनकी निविदाओं के परिणाम की जानकारी नहीं दी जाएगी । विक्रेता निविदा प्रक्रिया की स्थिति पोर्टल पर देख सकता है ।

24. **दायित्व**

24.1 विक्रेता, उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सामान के किसी प्रकट या गुप्त दोष के कारण या उनके द्वारा दी गई सब-स्टैण्डर्ड सेवाओं के कारण, क्रेता या किसी तीसरी पार्टी को हुई किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा ।

25. **सहायक साधन और हिस्से, पुर्जे**

25.1 निविदा में निर्दिष्ट किए अनुसार संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/इन्स्ट्रुमेंट के संतोषजनक प्रचालन के लिए अनिवार्य सहायक साधनों, वैकल्पिक सहायक साधनों और

25.1.1 दो वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक और

25.1.2 पांच वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक

हिस्से-पुर्जों की कीमतों का भी उल्लेख संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/इन्स्ट्रुमेंट से संबंधित प्रस्तावों में होना चाहिए ।

26. क्रेता का अधिकार

26.1 क्रेता, निम्नतम या कोई अन्य निविदा स्वीकार करने के लिए किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा और किसी भी निविदा को कोई भी कारण बताए बिना, चाहे जो भी हो, पूर्णत: या अंशत: स्वीकार या अस्वीकार करने का हकदार होगा ।

27. केवल भारतीय रुपए में बोलियों के लिए निविदाकरण की शर्तें

27.1 निविदा दस्तावेज में उल्लिखित परेषिती/सुपुर्दगी स्थान तक भंडार की सीधी तथा सुरक्षित सुपुर्दगी पर लगने वाले सभी प्रभार, विक्रेता द्वारा कोट की गई दर में शामिल होने चाहिएं । यदि विक्रेता परेषिती/क्रेता के स्थान पर भंडार की सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए एकमुश्त प्रभार अलग से उल्लिखित करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है । तथापि क्रेता, 'किस पर कितना प्रभार' इसका ब्यौरा मंगवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । क्रेता न तो पारगमन (ट्रांजिट) बीमा के लिए कोई जिम्मेदारी लेगा और न ही वह अलग से इसके लिए भुगतान करेगा ।

27.2 'एक्स-वर्क्स' आधारित निविदाओं के मामले में, यदि विक्रेता ने क्रेता के स्थल तक सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए पैकिंग, फॉरवर्डिंग और परिवहन प्रभार का उल्लेख अपने प्रस्ताव में न किया हो तो उनके द्वारा कोट की गयी मूल कीमत का 2% (स्थानीय तथा आउटस्टेशन फर्मों, दोनों के मामले में) पैकिंग प्रभार के रूप में, उनके द्वारा कोट की गयी मूल कीमत का 1% (स्थानीय फर्मों के मामले में) 'सुरक्षित सुपुर्दगी प्रभार' के रूप में तथा उनके द्वारा कोट की गयी मूल कीमत का 3% (आउटस्टेशन फर्म के मामले में) 'सुरक्षित सुपुर्दगी प्रभार' के रूप में अतिरिक्त जोड़ा जाएगा ताकि क्रेता के स्थल तक सुरक्षित डोर सुपुर्दगी की दृष्टि से उनके प्रस्तावों की तुलना की जा सके ।

27.3 भंडार सामग्री को न तो 'क्रेता के जोखिम पर' और न ही 'स्वयं' के नाम पर प्रेषित किया जाना चाहिए । सामग्री का प्रेषण, क्रय आदेश में उल्लिखित परेषिती के नाम तथा पते पर ही किया जाना चाहिए । इस शर्त का अनुपालन नहीं किए जाने पर विक्रेता को इसके परिणामस्वरूप

सभी अर्थ दंड/खर्च जैसे, विलंब-शुल्क, घाट-शुल्क आदि का वहन करना होगा, जिसके लिए क्रेता को खर्च करना पड़ा हो ।

27.4 पारगमन के दौरान भंडार को हुई क्षति या नुकसान के बारे में परेषिती, जितना जल्दी हो सके, परंतु भंडार, गंतव्य पर पहुँचने की तारीख से 45 दिनों के अंदर, विक्रेता को सूचित करेगा ताकि विक्रेता, बिना किसी प्रभार के, उन त्रुटियों/क्षति की मरम्मत/सुधार कर सके या उसे बदल कर दे सके, जो भी उचित हो । यदि विक्रेता चाहता है कि भंडार उसे वापस कर दिया जाए तो उसके परिवहन आदि पर होने वाले सभी खर्चों का वहन विक्रेता को करना होगा तथा सामग्री की लागत के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी ।

27.5 यदि कोई भारतीय आपूर्तिकर्ता/एजेंट पूर्णतया आयातित भंडार की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव देता है, तो परेषिती के स्थान पर सुपुर्दगी के लिए ऐसी सामग्री की कीमत भारतीय रूपयों में 'निश्चित कीमत' आधार पर कोट की जानी चाहिए तथा उसमें आयात शुल्क नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तथापि, देय सभी आयात शुल्कों का प्रतिशत/मात्रा, जहाँ भी आवश्यक हो, क्रेता के ध्यानाकर्षण हेतु अलग से कोट की जानी चाहिए । दस्तावेजी सबूत पेश करने पर क्रेता द्वारा आयात शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

28. वैधानिक उगाहियां

28.1 उत्पाद शुल्क

28.1.1 यदि उत्पाद शुल्क या किन्हीं अन्य वैधानिक उगाहियों तथा प्रभारों का उल्लेख अतिरिक्त के रूप में अलग से करना अपेक्षित हो तो उसका विशिष्ट उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए । ऐसे किसी विवरण के न होने पर इनसे संबंधित किसी भी दावे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । (जहाँ उत्पाद शुल्क की उगाही यथामूल्य आधार पर की जानी हो, विक्रेता को निविदा के साथ प्रपत्र-। तथा जहाँ कहीं भी लागू हो, निर्माता की मूल्य सूची संलग्न करनी चाहिए जिसमें उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा भंडार की अनुमोदित वास्तविक मूल्यांकित दर बताई गई हो)

28.1.2 परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसंधान संस्थानों के लिए किए जाने वाले क्रय, दिनांक 1.03.1997 की अधिसूचना सं .10/97- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनुसार उत्पाद शुल्क छूट प्राप्त करने के पात्र हैं । क्रय आदेश जारी करने के बाद तथा सामग्री के प्रेषण से पहले, आवश्यक उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र क्रेता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।

28.1.3 चूंकि, यह निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन अनुसंधान संस्थानों तथा औद्योगिक एककों, दोनों के लिए क्रय करता है, अत: कोट की गई कीमत में, विक्रेताओं द्वारा उत्पाद

शुल्क शामिल नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, लागू उत्पाद शुल्क का प्रतिशत या मात्रा का उल्लेख उनके द्वारा अलग से किया जाना चाहिए ।

28.1.4 उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र केवल उस ठेकेदार के पक्ष में जारी किया जाएगा, जिसके नाम पर 'अंतिम उत्पाद' हेतु क्रय आदेश जारी किया गया हो, न कि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर । तथापि, प्रस्ताव यदि उपस्कर के मूल निर्माता के एकमात्र बिक्री एजेंट से प्राप्त होता है (जिसके लिए दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किया जाना चाहिए) तो उत्पाद शुल्क में छूट का प्रमाण-पत्र उपस्कर के मूल निर्माता के पक्ष में जारी किए जाने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते मूल कोटेशन में इसके लिए अनुरोध किया गया हो ।

28.1.5 अंतिम उत्पाद के निर्माण में लगने वाली कच्ची सामग्री या घटकों या उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक किसी अन्य सामग्री के लिए 'उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र' जारी नहीं किया जाएगा ।

28.1.6 यदि विक्रेता केंद्रीय वैट **(CENVAT)** क्रेडिट सुविधा का लाभ ले रहा है, तो इस तथ्य का निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए । यदि मद की आपूर्ति अनुसंधान एवं विकास यूनिट के लिए की जा रही हो तो दिनांक 01.03.1997 की अधिसूचना सं .10/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत केंद्रीय वैट की वापसी का दावा, यदि कोई हो तो, निविदा में अलग से दर्शाया जाना चाहिए । बाद में इसके लिए किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

28.1.7 परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन औद्योगिक एककों की आवश्यकताओं के संबंध में उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना जिन मामलों में आवश्यक है, उनके लिए उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी जब इनवॉइस/इनवॉइस-सह-चलान की 'खरीददार की मूल प्रति' प्रस्तुत की जाएगी जिस पर कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हों तथा सरकार को विधिवत भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क संबंधी विवरण हो ।

28.1.8 इस बात पर गौर न करते हुए कि उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है, प्रस्तावों की तुलना करने के लिए क्रेता सामान्य रूप से लागू उत्पाद शुल्क को ध्यान में रखेगा, यदि किसी विक्रेता को किसी अन्य अधिसूचना के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने से विशेष तौर पर छूट प्राप्त हो तो, इस बात का उल्लेख निविदा में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ताकि तुलना करते समय इस बात का ध्यान रखा जा सके ।

28.1.9 केवल विक्रेता ही, अपने प्रस्ताव में उल्लिखित उत्पाद शुल्क संबंधी घोषणा के लिए जिम्मेदार होगा तथा किसी भी चरण पर उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई दावा किया जाता है

या उसके संबंध में कोई देयता निर्धारित की जाती है तो विक्रेता, उन वैधानिक उत्तरदायित्वों से क्रेता को बचाएगा ।

28.1.10 यदि, विक्रेता उत्पाद शुल्क 'निल' कोट करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसे आदेश दिए जाने की स्थिति में ठेके की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है तथा क्रेता किसी भी परिस्थिति में उत्पाद शुल्क को जोड़ने या उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र जारी करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा ।

28.1.11 यदि, निविदाकार यह कोट करता है कि उत्पाद शुल्क 'वर्तमान में शून्य है' या 'वर्तमान में लागू नहीं है' तो प्रस्तावों की तुलना करते समय क्रेता सामान्य रूप से लागू उत्पाद शुल्क को ध्यान में रखकर तुलना करेगा ।

28.1.12 कृपया नोट करें, ठेके के तहत आपूर्ति किए गए भंडार के लिए ठेकेदार को उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा यदि उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति दी जाती है, तो वे यह क्रेडिट क्रेता को तत्काल देंगे तथा इस संबंध में वे अपने निदेशक/प्रबंधक/प्रोपरायटर/लेखाकार से प्राप्त यह प्रमाण-पत्र देंगे कि यह क्रेडिट ठेके के अंतर्गत आपूर्ति किए गए भंडार के लिए मूल रूप से भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में है । यदि वे, उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वापसी आदेश जारी किए जाने के 10 दिनों के अंदर ऐसा करने में विफल होते हैं, तो क्रेता को यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वह उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वापस की गई राशि के बराबर राशि इस ठेके से संबंधित उनके बकाया बिलों में से या किसी अन्य लंबित सरकारी ठेके से संबंधित बिलों में से काट ले और इसके लिए उसे ठेकेदार को सूचित करना आवश्यक नहीं होगा । इस संबंध में ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया जाना चाहिए ।

28.1.13 जब भी उत्पाद शुल्क का दावा किया जाता है तथा उसे स्वीकार किया जाता है, तब विक्रेता द्वारा भुगतान प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं :

28.1.13.1 प्रत्येक बिल के साथ इस बात का प्रमाण पत्र कि संबंधित बिल के तहत किए गए दावे की तारीख के ठीक पहले के तीन महीनों के दौरान ठेकेदार को की गई उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई भी राशि 'वापसी' के तहत प्राप्त नहीं हुई है ।

28.1.13.2 ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र कि क्या पिछले वित्त वर्ष के दौरान उनके लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षा के बाद वापसी के तहत उन्हें कोई राशि प्राप्त हुई है या वापसी के लिए कोई आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है या नहीं, यदि कोई हो, तो ऐसे वापसी आवेदन का ब्यौरा भी दिया जाए । इस प्रमाण पत्र में आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को जारी सभी क्रय आदेशों/द्वारा धारित सभी ठेकों का संदर्भ होना चाहिए ।

28.1.13.3 फर्म के फाइनल भुगतान बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा फर्म को प्रतिपूर्ति किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी या आंशिक वापसी के संबंध में फर्म द्वारा क्या कोई अपील की गई है/विरोध दर्ज किया गया है जो उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास लंबित है । यदि हाँ, तो उसका स्वरूप, शामिल राशि तथा ऐसी अपीलों की स्थिति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए । यह प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार के प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/ लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

28.1.13.4 इस बात का वचनबंध कि यदि सरकार को किसी भी समय इस बात का पता लगता है कि भुगतान प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति लेने के बाद उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से उस शुल्क की वापसी ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की जा चुकी है और ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राधिकारी को वह राशि, लेनदेन के विवरण सहित तत्काल वापस नहीं की गई है, तो भुगतान प्राधिकारी को पूरा हक होगा कि वह ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के इस ठेके से संबंधित बकाया बिलों में से या उसे प्रदान किए गए किसी अन्य लंबित सरकारी ठेके के बिलों में से वह राशि वसूल कर ले । इस संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं किया जाएगा ।

28.2 **मूल्यवर्धित कर (वैट)/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर**

28.2.1 जहाँ पर भी वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर की उगाही विधिक रूप से की जानी हो और उससे संबंधित दावा प्रस्तुत किया जाना हो वहाँ कोट की गई कीमत के साथ अलग से उसे स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए । जहाँ कहीं भी ऐसा नहीं किया गया हो, वहाँ किसी भी चरण पर तथा किसी भी आधार पर वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

28.2.2 जब, ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर का दावा अतिरिक्त के रूप में व्यापक तौर पर तथा पैकिंग प्रभार पर विशेष तौर पर किया गया हो तब ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र भुगतान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

28.2.2.1 प्रमाणित किया जाता है कि जिस सामान पर तथा जिस पैकिंग प्रभार के लिए वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर लगाया गया है, वह केन्द्रीय ब्रिक्री कर या राज्य बिक्री कर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत छूट प्राप्त नहीं है तथा इन सामानों और पैकिंग प्रभार के लिए वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर के रूप में प्रभारित राशि संबंधित अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन नियमों के तहत देय राशि से अधिक नहीं है ।

28.2.2.2 आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने वास्तव में वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर का भुगतान किया है तथा पैकिंग प्रभारों पर वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर के लिए हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है एवं यह भी कि जहाँ कहीं भी संबंधित राज्य सरकार के संबंधित अधिनियम/नियम के तहत वैधानिक छूट प्राप्त है, हमने उसका लाभ लिया है तथा जहाँ कहीं भी पैकिंग प्रभार का दावा किया गया है, वहाँ पर वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर के लिए उक्त प्रावधान उपलब्ध नहीं है ।

28.2.2.3 बिल में दावा की गई राशि के संबंध में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी दावा वापसी के लिए लंबित नहीं है या ग्राह्य नहीं है । प्रमाणित किया जाता है कि सरकार से पैकिंग प्रभारों के लिए वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/सामान एवं सेवा कर के रूप में ली गई राशि की पूर्ण या आंशिक वापसी मिलने पर हम उस राशि के बराबर की राशि सरकार को वापस कर क्रेता तक वह लाभ पहुंचाएंगे ।

28.2.2.4 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हम (हमारी शाखा या एजेंट) ----------
---------- (पता) ----------
---------- राज्य में स्थानीय पंजीकरण संख्या ---------- के तहत तथा---------
---------- राज्य में केन्द्रीय पंजीकरण संख्या ---------- के तहत राज्य/केन्द्रीय कर के उद्देश्य से डीलर के रूप में पंजीकृत हैं ।

(विक्रेता की मुहर तथा हस्ताक्षर)

28.3 **चुंगी**

28.3.1 जब भी सुपुर्दगी का स्थान मुंबई हो या ऐसा अन्य कोई स्थान हो जहाँ चुंगी लागू है, विभाग आवश्यक चुंगी छूट प्रमाणपत्र जारी करेगा यदि मूल प्रस्ताव में ही इसका विशिष्ट उल्लेख किया गया हो और इसे विशेष अनुरोध करने पर ही जारी किया जाएगा । आपूर्तिकर्ता को चुंगी शुल्क रहित कीमत कोट करनी चाहिए और इसका प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए । यदि आपूर्तिकर्ता, बाद में किसी चरण पर चुंगी का दावा करता है, तो किसी भी परिस्थिति में चुंगी की प्रतिपूर्ति या भुगतान नहीं किया जाएगा । यह भी नोट किया जाए कि चुंगी छूट प्रमाणपत्र की आवश्यकता का उल्लेख यदि मूल प्रस्ताव में नहीं किया गया हो, तो बाद में किसी भी चरण पर किसी भी परिस्थिति में इसे जारी नहीं किया जाएगा । चुंगी छूट प्रमाणपत्र जारी किए जाने की शर्त के बावजूद, प्रस्तावों के मूल्यांकन के समय, जहाँ भी लागू हो, चुंगी शुल्क, लागू दर पर जोड़ा जाएगा ।

28.4 **प्रवेश कर**

28.4.1 यह, विक्रेता/ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह, लागू प्रवेश-कर का प्रतिशत/मात्रा और प्रवेश-कर के भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा करने के अपने इरादे का उल्लेख, बोली प्रस्तुत करते समय करे, ऐसा न करने पर, क्रेता किसी भी कारण के अधीन, प्रवेश-कर की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । क्रेता, प्रवेश-कर का भुगतान न किए जाने एवं इसके फलस्वरूप होने वाले परिणामों के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा ।

28.5 **सीमा-शुल्क**

28.5.1 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी दिनांक 23.07.1996 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 51/96-सीमा-शुल्क, 'समय-समय पर यथा संशोधित' के अनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन अनुसंधान संस्थानों के लिए की जाने वाली खरीद के लिए रियायती दर पर सीमा-शुल्क के मूल्यांकन के लिए क्रेता हकदार है । इसके लिए क्रेता, उपयुक्त प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा तथा ठेकेदार को प्रदान करेगा ताकि वह सीमा-शुल्क की रियायती दर का लाभ ले सके ।

28.5.2 चूंकि, यह निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन अनुसंधान संस्थानों तथा औद्योगिक इकाइयों, दोनों के लिए क्रय करता है, यदि, पूर्णतः आयातित सामग्री की आपूर्ति के लिए कोई भारतीय आपूर्तिकर्ता/एजेंट भारतीय रुपयों में प्रस्ताव देता है, तो वह सीआईएफ पोर्ट गंतव्य (जैसे सीआईएफ मुंबई/सीआईएफ चेन्नै आदि) आधार पर कीमत कोट करे । तथापि, क्रेता द्वारा नामित भारतीय बीमा कंपनी से उसका पारगमन बीमा करवाया जाना चाहिए ताकि विश्व में कहीं से भी भारत में किसी भी स्थान तक बीमा व्याप्ति उपलब्ध करवायी जा सके ।

28.5.3 **हाई सीज़** बिक्री पर विचार नहीं किया जाएगा ।

28.5.4 किसी सामग्री की आवश्यकता के उत्तरस्वरूप यदि स्वदेशी तथा आयातित दोनों प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो क्रय का निर्णय लेने के लिए, आयातित भंडार सामग्री के प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय कुल लैन्डेड लागत को आधार माना जाएगा जिसमें समय-समय पर लागू पूरा सीमा शुल्क तथा अन्य उगाहियां शामिल होंगी ।

28.5.5 अंतिम उत्पाद के निर्माण में लगने वाली किसी भी कच्ची सामग्री या घटकों या उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक किसी अन्य सामग्री के लिए 'सीमा-शुल्क छूट प्रमाण पत्र' जारी नहीं किया जाएगा ।

29. **उत्पाद शुल्क/सीमा-शुल्क में उतार-चढ़ाव**

29.1 जब तक कि ठेके के निबंधन में स्पष्ट रूप से स्वीकार न किया गया हो, क्रेता, ठेका की गई भंडार सामग्री के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल और/या सीधे उपयोग में लाए गए घटकों पर ठेके की अवधि के दौरान लगाए गए नए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री कर के कारण और/या इनमें वृद्धि के कारण भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए किसी भी दावे के संदर्भ में प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

30. **नमूने**

30.1 यदि, नमूने मँगाए जाते हैं, तो विक्रेता द्वारा नमूने, बिना किसी प्रभार के तथा क्रेता की निविदा संख्या दर्शाते हुए प्रस्तुत किए जाने चाहिएं । इन नमूनों की किसी भी कारण से क्षति होने पर या नुकसान होने पर क्रेता उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा । कोटेशन अस्वीकार होने की स्थिति में, विक्रेता को अपने खर्च पर तथा यथोचित समय के अंदर, नमूने हटाने/ले जाने होंगे । जिन प्रस्तावों के साथ नमूने न हों, वे अस्वीकार किए जा सकते हैं ।

31. **मात्रा**

31.1 निविदा में दर्शाई गई मात्रा केवल अनुमानित है तथा निविदा में उल्लिखित भंडार सामग्री की एक या अधिक मदों या ऐसी भंडार सामग्री की किसी एक या एक से अधिक मदों के अंश को स्वीकार किया जा सकता है तथा निविदा पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने के बावजूद, विक्रेता, ठेके में उल्लिखित मात्रा की आपूर्ति क्रेता को करने के लिए बाध्य होगा ।

32. **प्रमाणीकरण**

32.1 यदि, विक्रेता एक साझेदारी फर्म या संयुक्त हिन्दू परिवार प्रतिष्ठान है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें फर्म के ऐसे साझेदारों या संयुक्त हिन्दू परिवार प्रतिष्ठान के ऐसे सदस्यों के नाम तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा जिनके स्वामित्व में वह फर्म/प्रतिष्ठन है । यह विवरण निविदा के साथ संलग्न अलग शीट पर होना चाहिए ।

निविदा पर निम्नलिखित के हस्ताक्षर होने चाहिएं :

32.1.1 विक्रेता यदि **एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान हो तो उस मामले में :** फर्म के एकमात्र मालिक द्वारा या विधिवत रूप से नियुक्त ऐसे एटॉर्नी द्वारा जिसे मालिक की ओर से करार करने तथा उसपर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो । उसे करार के तहत या करार के संबंध में होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को मध्यस्थ के पास ले जाने के लिए भी प्राधिकृत किया होना चाहिए । इसके लिए उसे मुख्तारनामा दिया होना चाहिए जिस पर

प्रतिष्ठान के मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा उसे प्रमाणीकृत किया जाना चाहिए ।

32.1.2 विक्रेता यदि **साझेदारी फर्म हो तो उस मामले में :** सभी साझेदारों द्वारा या विधिवत रूप से नियुक्त ऐसे एटॉर्नी द्वारा, जिसे साझेदारी फर्म की ओर से करार करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो । उसे करार के तहत या उसके संबंध में होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को मध्यस्थ के पास ले जाने के लिए भी प्राधिकृत किया होना चाहिए । इसके लिए उसे सभी साझेदारों की कॉमन सील के तहत निष्पादित मुख्तारनामा दिया होना चाहिए जो नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना चाहिए ।

32.1.3 विक्रेता यदि **लिमिटेड कंपनी हो तो उस मामले में :** कंपनी की कॉमन सील के तहत या विधिवत रूप से नियुक्त ऐसे एटॉर्नी द्वारा जिसे करार करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो । उसे करार के तहत या करार के संबंध में होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को मध्यस्थ के पास ले जाने के लिए भी प्राधिकृत किया होना चाहिए । इसके लिए उसे कंपनी की कॉमन सील के तहत निष्पादित मुख्तारनामा दिया होना चाहिए जो नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना चाहिए ।

32.1.4 विक्रेता यदि **संयुक्त हिन्दू परिवार प्रतिष्ठान हो तो उस मामले में :** संयुक्त परिवार के कर्ता द्वारा ।

32.1.4.1 जब भी निविदा पर किसी प्रतिष्ठान के एकमात्र मालिक द्वारा नियुक्त एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है या जब निविदा पर फर्म के साझेदारों द्वारा नियुक्त एटॉर्नी द्वारा फर्म के साझेदारों की ओर से हस्ताक्षर किया जाता है, जैसा कि उपरोक्त उप खण्ड (ए) तथा (बी) में बताया गया है, वहाँ एटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए किया गया मूल मुख्तारनामा निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए या फिर यदि निविदा किसी लिमिटेड कंपनी द्वारा नियुक्त एटॉर्नी द्वारा उस कंपनी की ओर से निष्पादित की गयी हो, जैसा कि उपरोक्त उप खण्ड (सी) में बताया गया है, तो निविदा के साथ मूल मुख्तारनामा तथा प्राधिकृत संकल्प (यदि सह-अनुबंध के तहत संकल्प आवश्यक हो तो) संलग्न करना चाहिए । मुख्तारनामे पर कंपनी की कॉमन सील लगी होनी चाहिए तथा निविदा के साथ सह-अनुबंध की प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए । तथापि, यदि मुख्तारनामा क्रेता को पहले प्रस्तुत किया गया हो और क्रेता ने उसे अनुमोदित किया हो, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को निविदा के साथ मुख्तारनामा भेजने की आवश्यकता नहीं है । इस खंड में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करने से ठेकेदार यदि चूक जाता है तो निविदा अस्वीकार हो जाएगी ।

32.1.5 यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से निविदा प्रपत्र पर या किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, जो कि ठेके का एक भाग हो, तो यह मान लिया जाएगा कि उसे 'उस अन्य व्यक्ति' को कानूनी बंधन में डालने का प्राधिकार प्राप्त है । जाँच करने पर या बाद में यदि यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति को हस्ताक्षर करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं था, तो ऐसी स्थिति में क्रेता, अन्य सिविल तथा अपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर ठेका रद्द कर सकता है तथा हस्ताक्षर करने वाले को पूरी लागत तथा क्षति के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है ।

33. **नि:शुल्क जारी सामग्री** (यह शर्त केवल उन ठेकों पर लागू होगी जो क्रेता द्वारा नि:शुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) से निर्मित किए गए उपस्कर की आपूर्ति के संबंध में हो ।)

33.1 जब, ठेके में उल्लिखित होता है कि, ठेकाबद्ध उपस्कर/भंडार के निर्माण के लिए क्रेता द्वारा ठेकेदार को नि:शुल्क सामग्री जारी की जाएगी, तो ऐसी नि:शुल्क जारी सामग्री की रक्षा के उपाय के रूप में ठेकेदार को अपनी लागत पर एक बीमा पॉलिसी लेकर जमा करानी होगी । यह पॉलिसी सामग्री के पूरे मूल्य की होगी और इस बीमा पॉलिसी के तहत विशेष रूप से निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे और यह बीमा पॉलिसी ठेके में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख से छ: महीने बाद तक वैध होगी :

33.1.1 **शामिल किए जानेवाले जोखिम :** आग, चोरी, दंगे, सेंधमारी, हड़ताल, नागरी हंगामे, आतंकवादी गतिविधि, प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण क्रेता की सामग्री को होने वाली हानि या क्षति और अन्य कारणों से होने वाली हानि या क्षति जैसे क्रेता की सामग्री के ऊपर अन्य किसी सामग्री का गिरना आदि ।

बीमाकर्ता	:	(विक्रेता का नाम)
लाभार्थी	:	भारत के राष्ट्रपति निदेशक, क्रय एवं भंडार, क्रय एवं भंडार निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से
राशि जिसके लिए बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की जानी है	:	राशि का उल्लेख संबंधित ठेके में किया जाएगा ।

33.2 ठेकेदार से बीमा पॉलिसी प्राप्त होने के बाद ही ठेकेदार को 'नि:शुल्क जारी सामग्री' (एमआईएम) जारी की जाएगी । ठेकेदार को अपने जोखिम और लागत पर क्रेता के परिसर से

एफआईएम लेकर जाने और अपने परिसर तक उसके सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करनी होगी ।

33.3 ठेकेदार द्वारा उपरोक्त बीमा करवाए जाने के बावजूद, ठेकेदार क्रेता को वैधानिक उत्तरदायित्वों से बचाएगा और जब तक इस ठेके का काम पूरा नहीं हो जाता और इसके लिए जारी की गई नि:शुल्क सामग्री में से बची हुई/अतिरिक्त तथा स्क्रैप मदों को उसके पूरे हिसाब के साथ क्रेता को विधिवत वापस नहीं कर दिया जाता तब तक 'नि:शुल्क जारी सामग्री' के मूल्य के लिए क्षतिपूर्ति का वचन ठेकेदार द्वारा क्रेता को दिया जाना होगा । क्रेता द्वारा जारी नि:शुल्क सामग्री का उपयोग ठेकेदार इस ठेके के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा और ऐसे किसी कार्य, ऐसी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा या ऐसी कोई लापरवाही नहीं करेगा जिसके कारण/परिणामस्वरुप क्रेता को किसी प्रकार की हानि/क्षति हो और यदि कहीं ऐसा हो जाए तो ठेकेदार ऐसी किसी भी हानि/क्षति की क्रेता को पूरी तरह प्रतिपूर्ति/भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा । नि:शुल्क जारी सामग्री विक्रेता द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद तथा जब तक यह सामग्री उसके कब्जे/नियंत्रण/अभिरक्षा में रहती है, उस पूरी अवधि के दौरान, वह इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा । 'नि:शुल्क जारी सामग्री' विक्रेता के कार्यस्थल पर प्राप्त होने पर, वह सही सामग्री की सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसका निरीक्षण करेगा । यदि प्राप्त सामग्री में कोई कमी या विसंगति पाई जाती है तो ठेकेदार सामग्री प्राप्ति की तारीख से 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट क्रेता को देगा । ठेकेदार इस बात की पूरी एहतियात बरतेगा कि नि:शुल्क जारी सामग्री जब तक उनके कब्जे/अभिरक्षा या नियंत्रण में है तब तक किसी भी कारण से उस सामग्री की कोई हानि, ह्रास, क्षति या नुकसान न हो । नि:शुल्क जारी सामग्री का ठेकेदार द्वारा नियमित अंतराल पर समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा ताकि सामग्री का सुरक्षित संरक्षण और भंडारण सुनिश्चित हो सके । ठेकेदार इस सामग्री को किसी अन्य सामान के साथ नहीं मिलाएगा और ठेकेदार, वास्तव में प्रयुक्त सामग्री का पूरा और सही-सही हिसाब देगा तथा अंतिम उत्पाद के साथ, बची हुई अप्रयुक्त सामग्री एवं स्क्रैप भी लौटाएगा और यदि ऐसा संभव नहीं है तो क्रय आदेश में लिखे अंतिम उत्पाद की सुपुर्दगी की तारीख से एक माह के अंदर इसे लौटाएगा । यदि नि:शुल्क जारी सामग्री को किसी प्रकार की हानि/क्षति होती है या वह खो जाती है तो उसकी वास्तविक कीमत और बीमा कंपनी द्वारा क्रेता के दावे पर किए गए भुगतान के अंतर की प्रतिपूर्ति/भरपाई करके ठेकेदार क्रेता को क्षतिपूर्ति करेगा । नि:शुल्क जारी सामग्री जब ठेकेदार के कब्जे/अभिरक्षा, नियंत्रण में थी तो उस समय किसी भी कारण से क्या सामग्री को कोई हानि, नुकसान, क्षति पहुंची है या ह्रास हुआ है, और यदि ऐसा हुआ है तो सरकार को कितनी हानि हुई है इसकी मात्रा के संबंध में क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के निदेशक, क्रय एवं भंडार का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा ।

34. **भुगतान की शर्तें**

34.1 'क्रेता द्वारा भंडार सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति के बाद पूरा भुगतान' क्रेता की मानक भुगतान शर्तें है, जो प्रपत्र संख्या क्रभनि-पी-100 में अर्थात् स्वदेशी आपूर्ति को शासित करने वाली सभी ठेकों की सामान्य शर्तें' में उल्लिखित हैं ।

34.2 यदि कोई भी विक्रेता, सामग्री की सुपुर्दगी से पहले अग्रिम या क्रमिक भुगतान चाहता है, तो इस हेतु किया गया अनुरोध केवल बड़े मूल्य की मदों वाले अपवादात्मक मामलों में ही स्वीकार किया जा सकता है, जिसमें विक्रेता को मांगे गए अग्रिम/क्रमिक भुगतान की राशि के बराबर राशि की तथा ठेके के निष्पादन की तिथि तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी । क्रेता के प्रपत्र के अनुसार बैंक गारंटी, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) या किसी अन्य राष्ट्रीकृत बैंक या निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक के माध्यम से निष्पादित की जानी चाहिए ।

34.3 इसके अलावा, अग्रिम/क्रमिक भुगतान चाहने वाले विक्रेता के प्रस्ताव का मूल्यांकन, उसके द्वारा मांगी गई अग्रिम राशि पर प्रति वर्ष 12% की दर से ब्याज, कोट की गई सुपुर्दगी अवधि तक पकड़कर, किया जाएगा ।

34.4 यदि, कोई विक्रेता, आपूर्ति की जाने वाली भंडार सामग्री के लिए यथा-अनुपात आधार पर भुगतान चाहता है, तो उसे आपूर्ति की अधिकतम किस्तों का उल्लेख अपने प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से करना चाहिए । तथापि, किस्तों में सुपुर्दगी तथा यथा-अनुपात आधार पर भुगतान का विचार केवल उन ठेकों के लिए किया जाएगा जो बड़े मूल्य के हों तथा जिनमें मदों की मात्रा बृहत् हो । अधिकतम किस्तों की संख्या सामान्यत: चार तक ही सीमित रखी जाएगी । तथापि किस्तों में डिलिवरी तथा यथा-अनुपात भुगतान की शर्त स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार क्रेता के पास सुरक्षित है ।

35. **ठेके में उल्लिखित सुपुर्दगी अवधि के बाद आपूर्ति किए जाने पर**, '**विलंब के लिए ब्याज**'

35.1 जहाँ कहीं भी ठेकेदार द्वारा अग्रिम भुगतान की मांग की जाती है तथा उसके बराबर राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त पर वह अनुरोध ठेके में स्वीकार किया जाता है और ऐसे कारणों की वजह से आपूर्ति, ठेके में उल्लिखित सुपुर्दगी तिथि के बाद होती है अर्थात् आपूर्ति में विलंब होता है, जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार हो तो ठेके में उल्लिखित सुपुर्दगी अवधि के बाद की अवधि के लिए, समायोजित की जाने वाली शेष अग्रिम भुगतान की राशि पर 12% की दर से ब्याज की उगाही की जाएगी ।

36. क्रय वरीयता

36.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रस्ताव क्रय वरीयता के लिए तभी पात्र होंगे जब उनकी स्पर्धा निजी क्षेत्र के यूनिटों के साथ हो । ऐसी स्थिति में उनके प्रस्तावों के मूल्यांकन के समय लागू भारत सरकार की नीति के अनुसार वरीयता, यदि कोई हो, तो दी जाएगी बशर्ते उनका प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हो ।

37. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कीमत में वरीयता

37.1 भारत में उचित सरकारी प्राधिकरणों में पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की स्पर्धा अन्य गैर एमएसई उद्यमों के साथ होने पर, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से प्राप्त प्रस्ताव, भारत सरकार की नीति के अनुसार, निविदा खोलने के समय यथाग्राह्य 'वरीयता' के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उनका कोटेशन तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हो । अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य के स्वामित्व वाले एमएसई को, विद्यमान सरकारी नीति के अनुसार उनके लिए लागू वरीयता प्राप्त करने के लिए, उचित प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/जनजाति प्रामाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है । यदि विक्रेता, निविदा के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो बाद में वरीयता का दावा करने के लिए वह अयोग्य हो जाएगा ।

38. जमानती जमा

38.1 प्रस्ताव स्वीकार होने पर ` 5.00 लाख से अधिक मूल्य के ठेके/क्रय आदेश के संबंध में विक्रेता को जमानती जमा राशि प्रस्तुत करना आवश्यक है । यह राशि आदेश की गई भंडार सामग्री की कुल मूल लागत (जिसमें कर तथा शुल्क शामिल नहीं होंगे) के 10% के बराबर होगी । यह जमानत, बैंक गारंटी के रूप में होनी चाहिए, जो क्रय आदेश/ठेके में उल्लिखित 'पूर्णता' तिथि के बाद कम से कम 2 माह तक की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए । बैंक गारंटी, भारतीय स्टेट बैंक/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक नामक निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निष्पादित होनी चाहिए । यह बैंक गारंटी क्रेता के फॉरमॅट के अनुरूप तथा उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होनी चाहिए ।

38.2 ऐसे प्रस्ताव, जिनमें विक्रेताओं ने जमानती जमा प्रस्तुत करने की शर्त न मानी हो, अस्वीकार किए जा सकते हैं ।

39. आईएसआई चिह्न वाले उत्पाद

39.1 **आईएसआई चिह्न** वाले उत्पादों को वरीयता दी जाएगी ।

39.2 निम्नलिखित श्रेणी की मदों के संबंध में, क्रेता केवल **आईएसआई चिह्न** वाले उत्पादों के प्रस्तावों पर ही विचार करेगा :-

- अग्निशामक
- निर्माण सामग्री
- पीवीसी पाइप तथा फिटिंगें
- कृषि उपकरण तथा स्प्रेयर
- चिकित्सीय उपकरण जैसे सिरींजें, सुइयाँ, रक्तचाप (बीपी) उपकरण आदि ।

40. **स्थायी लेखा संख्या (पैन)**

40.1 विक्रेता को निविदा के साथ, पैन कार्ड/आयकर विभाग द्वारा जारी पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर निविदा अस्वीकार की जा सकती है ।

41. **फैक्टरी पंजीकरण/दुकान तथा स्थापना प्रमाण पत्र**

41.1 विक्रेता को निविदा के साथ फैक्टरी पंजीकरण/लाइसेंस या दुकान तथा स्थापना प्रमाण पत्र की प्रति, जो भी लागू हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर निविदा अस्वीकार की जा सकती है ।

42. **बैंकर का ब्यौरा**

42.1 विक्रेता द्वारा अपने प्रस्ताव में अपने बैंकरों के नाम तथा पते संबंधी ब्यौरा दिया जाना चाहिए जिसमें, ई-भुगतान के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस का ब्यौरा भी होना चाहिए ।

43. सार्वजनिक प्रापण नीतियाँ

43.1 सार्वजनिक प्रापण नीतियों के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों का प्रापण वर्तमान नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

44. भारतीय राष्ट्रीय रुपया मुद्रा को छोड़कर अन्य मुद्राओं (करंसी) में बोलियों के लिए निविदा की शर्तें

44.1 ओवरसीज विक्रेता भी निविदा में भाग लेने के पात्र हैं, बशर्ते वे प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक, भारत द्वारा प्राधिकृत, किसी भी लाइसेंस-प्राप्त प्रमाणन प्राधिकारी से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/एनक्रिप्शन प्रमाणपत्र प्राप्त कर, उसका उपयोग करें ।

44.1.1 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें ?

44.1.1.1 प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए) का कार्यालय, केवल प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को ही प्रमाणपत्र जारी करता है । सीए, अंतिम-प्रयोक्ता को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करता है । आप, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, सात प्रमाणन

प्राधिकारियों (सीए) में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं । विस्तृत जानकारी के लिए www.cca.gov.in वेबसाइट देखें ।

44.1.1.2 तथापि, विक्रेता यदि चाहें, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता की सहायता ले सकते हैं । पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर कृपया संपर्क करें ।

45. कीमत की शर्तें

45.1 हवाई शिपमेंट के लिए : पैक की हुई, एक्स-वर्क्स/फैक्टरी या नीचे दी गई सूची के अनुसार निर्दिष्ट 'गेटवे एअरपोर्ट' पर नि:शुल्क वाहक (एफसीए)

गेटवे एअरपोर्टों की सूची

1.	ऑस्ट्रेलिया	-	मेलबर्न
2.	ऑस्ट्रिया	-	विएन्ना
3.	कनाडा	-	टोरोंटो/मोंट्रिएल
4.	चीन	-	बीजिंग
5.	डेन्मार्क	-	कोपेनहेगन
6.	फ्रांस	-	पैरिस
7.	जर्मनी	-	फ्रैंकफर्ट
8.	हाँग काँग	-	हाँग काँग
9.	इटली	-	रोम
10.	जपान	-	टोक्यो/ओसाका
11.	नेदरलॅण्ड्स	-	ऐमस्टरडैम
12.	सिंगापुर	-	सिंगापुर
13.	स्वीडन	-	स्टॉकहोम
14.	स्विट्झरलैंड	-	ज्यूरिक
15.	यूनाइटेड किंगडम	-	लंदन
16.	यू.एस.ए.	-	जेएफके

45.2 चूँकि क्रेता के, प्राधिकृत समेकन एजेंट होते हैं, वे आपूर्तिकर्ता के वर्क्स से परेषण (कनसाइनमेंट) ले जाने की व्यवस्था करेंगे तथा संबंधित गेटवे एअरपोर्ट से हवाई-भाड़े की व्यवस्था करेंगे, अत: विक्रेता एक्स वर्क्स/एक्स फैक्टरी पैक्ड कीमत भी अलग से दर्शाएं ।

45.3 **समुद्री शिपमेंट के लिए : एफओबी/एफएएस शिपमेंट पोर्ट :** कोट की गई कीमत में मद की लागत, पैकिंग प्रभार, शिपमेंट पोर्ट तक अंतर्देशीय परिवहन प्रभार तथा जहाज में मद के लदान का प्रभार शामिल होना चाहिए । जिस समुद्री पोर्ट से शिपमेंट की जाएगी उसका नाम भी दर्शाया जाना चाहिए ।

45.4 यदि ठेका दिया जाता है और शिपमेंट का तरीका समुद्री भाड़ा हो, तो शिपिंग की व्यवस्था विक्रेता को करनी होगी ।

45.5 यह विक्रेताओं के हित में होगा कि वे उपर्युक्तानुसार कीमत कोट करें और दस्तावेजीकरण, गेटवे हवाई अड्डे/शिपमेंट के पोर्ट तक अंतर्देशीय परिवहन के लिए अन्य प्रभार, यदि कोई है, एवं हवाई भाड़ा/समुद्री भाड़ा अलग से उपरोक्त आधार पर कोट करें क्योंकि मूल्यांकन करते समय सभी प्रस्तावों की तुलना कुल लैंडेड लागत को आधार मानकर की जाएगी ।

46. एजेंसी कमीशन

46.1 भारत में विक्रेता के एजेंटों को, यदि कोई कमीशन देय हो तो उसे कीमत में शामिल किया जाना चाहिए । भारतीय एजेंटों का नाम तथा पता एवं उन्हें देय कमीशन का प्रतिशत, जो कीमत में शामिल किया गया है, स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए । अंतिम स्वीकृति के बाद, कमीशन का भुगतान सीधे भारतीय एजेंटों को समतुल्य भारतीय रुपयों में तथा विदेशी प्रिंसिपल को भुगतान किए जाने की तारीख पर जो भी विनिमय दर हो उसके आधार पर किया जाएगा । एजेंसी कमिशन के भुगतान का तरीका तथा पद्धति ठेके की सामान्य शर्तों/ठेके की विशेष शर्तों में उल्लिखित है ।

47. **कोटेशन अस्वीकार करने का अधिकार**

47.1 जो प्रस्ताव उपरोक्त अनुदेशों के अनुरूप न हो, उसे अस्वीकार करने का अधिकार क्रेता के पास सुरक्षित है ।

47.2 क्रेता के पास यह भी अधिकार सुरक्षित है कि वो, कोई भी कारण बताए बिना, कोई भी कोटेशन अस्वीकार कर दे ।

इस निविदा आमंत्रण के साथ संलग्न कोई भी अतिरिक्त शर्तें भी ठेके की शर्तों का भाग होंगी ।

अनुभाग 'बी'

प्रपत्र सं. क्रभनि-पी-100

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Energy
क्रय एवं भंडार निदेशालय/Directorate of Purchase & Stores

क्रय एवं भंडार निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले ठेकों के लिए लागू
'सभी ठेकों की सामान्य शर्तें'
एवं
संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति को शासित करने वाली ठेकों की विशेष शर्तें

सूची

खण्ड	खण्ड शीर्षक	पेज नं.
1.	प्रस्तावना	25
2.	परिभाषा तथा व्याख्या	25
3.	ठेकेदार की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार	26
4.	उप-ठेका देना	26
5.	ड्रॉइंगें तथा विनिर्देश	26
6.	सामान्य वारंटी	27
7.	बदलाव	27
8.	नमूने	27
9.	पैकिंग	27
10.	निरीक्षण	28
11.	जमानती जमा (भारतीय रुपयों में ठेकों के लिए)	28
12.	सुपुर्दगी का समय तथा तारीख – ठेके का मूल तत्व	28
13.	सुपुर्दगी समय को बढ़ाना	29
14.	दोषपूर्ण भंडार सामग्री में सुधार और बदलना	30
15.	निष्पादन प्रमाणित करने के लिए निरीक्षक का प्राधिकार	30
16.	अस्वीकार करने के परिणाम	30
17.	बकाया राशि की वसूली	30
18.	अन्य ठेकों के दावों के संबंध में धारणाधिकार	31
19.	वारंटी	31
20.	परमिट तथा लाइसेंस	32
21.	पेटेंट संबंधी वैधानिक उत्तरदायित्वों से बचाना/क्षतिपूर्ति करना	32
22.	भुगतान का तरीका और शर्तें	33
23.	बीमा (भारतीय रुपयों के अलावा अन्य मुद्रा में ठेकों के लिए)	34

24. मार्किंग (भारतीय रुपयों के अलावा अन्य मुद्रा में ठेकों के लिए) 34
25. ठेके को शासित करने वाले कानून (भारतीय रुपयों में ठेकों के लिए) 35
26. न्यायालयों का क्षेत्राधिकार (भारतीय रुपय़ों में ठेकों के लिए) 35
27. मध्यस्थता 35
28. क्रेता के अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करना 36
अनुभाग II - ठेके की विशेष शर्तें
29. पूर्णता की जिम्मेदारी 37
30. फाइनल परीक्षण 37
31. दोषपूर्ण संयंत्र अस्वीकार करना 37
32. वारंटी 37
33. इरेक्शन तथा कमिशनन 38
34. प्रशिक्षण 38
35. भुगतान का तरीका 38
36. निष्पादन बंध-पत्र बैंक गारंटी 39
37. संयंत्र की परिभाषा 39
परिशिष्ट 'ए' - निष्पादन बंधपत्र के लिए नमूना प्रपत्र 40
प्रपत्र क्रभनि - पी - 102 ए 42

अनुभाग-I

सभी ठेकों पर लागू ठेकों की सामान्य शर्तें

1. प्रस्तावना

1.1 जबकि, अनुभाग-I में दी गई शर्तें सभी ठेकों पर लागू होंगी, संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/इन्स्ट्रुमेंट के लिए किए जाने वाले ठेकों पर अनुभाग-**II** भी लागू होगा ।

2. परिभाषा तथा व्याख्या : ठेके में तथा उसे शासित करने वाली सामान्य तथा विशेष शर्तों में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो

2.1 "क्रेता" से तात्पर्य है भारत के राष्ट्रपति तथा उनका उत्तराधिकारी या उनके द्वारा नियत व्यक्ति ।

2.2 "निदेशक, क्रय एवं भंडार" से तात्पर्य है निदेशक, क्रय एवं भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो उस समय क्रय एवं भंडार निदेशालय के प्रशासनिक प्रभारी हों तथा इसमें क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त निदेशक, क्रय एवं भंडार; उप निदेशक, क्रय एवं भंडार; वरिष्ठ क्रय अधिकारी; क्रय अधिकारी या सहायक क्रय अधिकारी या क्रेता की ओर से क्रय एवं भंडार की आपूर्तियों से संबंधित ठेके का निष्पादन करने के लिए तत्समय प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी शामिल है ।

2.3 "ठेकेदार" या "आपूर्तिकर्ता" से तात्पर्य है, वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिसे भंडार की आपूर्ति के लिए ठेका दिया गया हो/क्रय आदेश जारी किया गया हो तथा उसमें उनके उत्तराधिकारी, वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, शामिल माने जाएंगे ।

2.4 "ठेका" या "क्रय आदेश" से तात्पर्य है, और इसमें ठेकेदार के प्रस्ताव की स्वीकृति संप्रेषित करने वाला पत्र या ई-मेल या स्याही से हस्ताक्षरित या डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेज़ एवं निविदा आमंत्रण; निविदा, जिसमें प्रस्ताव शामिल हों; प्रस्ताव की अग्रिम स्वीकृति; प्रस्ताव की स्वीकृति में निर्दिष्ट 'ठेके की सामान्य तथा विशेष शर्तें' तथा बाद में उसमें किया गया कोई भी संशोधन/बदलाव जो परस्पर स्वीकृति के आधार पर तैयार किया गया हो, शामिल हैं ।

2.5 "भंडार" या "सामग्री" से तात्पर्य है ठेके/क्रय आदेश में निर्दिष्ट सामग्री, जिसकी आपूर्ति के लिए ठेकेदार ने ठेके के तहत सहमति दी हो ।

2.6 "उप-ठेकेदार" या "उप-आपूर्तिकर्ता" से तात्पर्य है, ठेके/क्रय आदेश के संबंध में क्रेता के पूर्व अनुमोदन से ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता द्वारा नियोजित कोई ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता ।

2.7 "निरीक्षक" या "गुणता सर्वेक्षक" से तात्पर्य है क्रेता द्वारा नामित या प्रतिनियुक्त कोई अभियंता (इंजीनियर) या उनके द्वारा नियुक्त परामर्शदाता या गुणता निगरानी एजेंसी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे ठेके/क्रय आदेश के तहत भंडार सामग्री के निरीक्षण के लिए क्रेता द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए समय-समय पर प्राधिकृत किया गया हो ।

2.8 पक्षकार

2.9 ठेके/क्रय आदेश में उल्लिखित ठेकेदार तथा क्रेता ठेके के पक्षकार हैं ।

3. ठेकेदार की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार

3.1 ठेके या क्रय आदेश के संबंध में ठेके या क्रय आदेश या अन्य किसी दस्तावेज पर ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के संबंध में यह माना जाएगा कि उसे ठेकेदार को 'कानूनी बंधन में डालने' का प्राधिकार प्राप्त है ।

4. **उप-ठेका देना**

4.1 आपूर्तिकर्ता, क्रेता की लिखित सहमति के बगैर ठेके या उसके किसी अंश को किसी और को नहीं सौंपेगा, उप-ठेके पर नहीं देगा या प्रत्यायोजित नहीं करेगा । ऐसी सहमति को बिना किसी कारण के रोक कर नहीं रखा जाएगा । परंतु, आपूर्तिकर्ता क्रेता की सहमति के बगैर ऐसे कल-पुर्जों, सहायक साधनों या उससे संबंधित उपस्कर का क्रय कर सकता है, जिसका निर्माण वह सामान्यत: नहीं करता है ।

5. ड्रॉइंगें तथा विनिर्देश

5.1 ड्रॉइंग तथा विनिर्देश पूरक होते हैं । किसी भी आपूर्ति को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी बातों का इनमें प्रावधान होता है और वे सभी बातें इसमें शामिल होती हैं । तात्पर्य है कि यदि किसी बात का उल्लेख विनिर्देश में न किया गया हो किंतु ड्रॉइंग में हो या ड्रॉइंग में न हो किंतु विनिर्देश में हो तो यह मानते हुए कि दोनों में इसे दर्शाया गया है और इसका उल्लेख किया गया है, ठेकेदार को इसकी आपूर्ति करनी होगी ।

5.2 यदि ड्रॉइंग तथा/या विनिर्देशों में किसी भी प्रकार की विसंगति देखने में आती है और उसकी व्याख्या आवश्यक हो, तो स्पष्टीकरण के लिए मामला क्रेता को भेजा जाना चाहिए जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा । अन्यथा ठेकेदार को ड्रॉइंग तथा विनिर्देशों की व्याख्या तथा उसके उप-ठेकेदारों की व्याख्याओं की जिम्मेदारी लेनी होगी ।

5.3 यदि ड्रॉइंग या विनिर्देश के वास्तविक आशय तथा उसके मतलब के संबंध में कोई मतभेद या विवाद होता है या उसका कोई अंश अस्पष्ट या एक से अधिक व्याख्या करने योग्य होता है, तो इस संबंध में निर्णय क्रेता द्वारा लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

5.4 ड्रॉइंग में दी गई सभी लेटरिंग को विनिर्देश तथा ठेके का भाग माना जाना चाहिए । सभी मामलों में अंकों में दिए गए आयामों का पालन किया जाना चाहिए न कि जो स्केल में दिए गए हों । छोटे स्केल ड्रॉइंगों की तुलना में बड़े स्केल ड्रॉइंगों को वरीयता होगी ।

5.5 ठेकेदार के ड्रॉइंगों का क्रेता द्वारा अनुमोदन होने पर उसे ड्रॉइंगों की सूची में शामिल माना जाएगा, जो ठेके का भाग होगी । जब तक क्रेता द्वारा फैब्रिकेशन से संबंधित ड्रॉइंगे विधिवत रूप से अनुमोदित नहीं की जाती तब तक ठेकेदार फैब्रिकेशन का काम आरंभ नहीं करेगा ।

5.6 ठेकेदार द्वारा दिए गए ड्रॉइंगों या अन्य विवरणों में किसी विसंगति, त्रुटि या चूक के कारण भंडार सामग्री में हुए बदलाव के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा तथा इसके लिए भुगतान करेगा तथा बदलाव के परिणामस्वरूप क्रेता द्वारा किए गए किसी भी व्यय की क्षतिपूर्ति करेगा, चाहे क्रेता द्वारा ऐसे ड्रॉइंगों

या विनिर्देशों को अनुमोदित किया गया हो या न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसी विसंगति, त्रुटि या चूक क्रेता की ओर से ठेकेदार को प्रस्तुत गलत जानकारी या विनिर्देश के कारण न हो ।

6. सामान्य वारंटी

6.1 ठेके के तहत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई भंडार सामग्री सर्वोत्तम गुणवत्ता और कारीगरी वाली होगी । जब तक ठेके में किसी विचलन का स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया हो और ठेके में किसी संशोधन पर सहमति न हुई हो, ठेकेदार ठेका विनिर्देशों के अनुसार भंडार सामग्री की आपूर्ति करेगा ।

6.2 निविदा विनिर्देशों के अनुसार भंडार सामग्री की आपूर्ति करने संबंधी ठेकेदार का प्रस्ताव उसकी ओर से इस बात की स्वीकृति माना जाएगा कि वह इसके विवरण से पूर्णतया परिचित है और क्रेता के विरुद्ध इस आधार पर कोई दावा नहीं किया जा सकेगा कि ठेकेदार ने निविदा विनिर्देशों पर पूर्णतया गौर नहीं किया या वह उनसे पूर्णतया परिचित नहीं था ।

7. बदलाव

7.1 क्रेता, किसी भी तरीके से क्रय आदेश में बदलाव किए बिना समय-समय पर ड्राइंग विनिर्देशों में परिवर्तन कर सकता है और अतिरिक्त अनुदेश जारी कर सकता है बशर्ते किसी भी ऐसे परिवर्तन का आदेश न दिया जाए जिससे ठेके के अधीन आपूर्ति का कैरैक्टर और स्कोप वास्तव में बदल जाए ।

7.2 ठेका करने वाली पार्टियों के लिए यह उचित होगा कि वे किसी भी समय और समय-समय पर ड्राइंगों और विनिर्देशों में बदलाव परस्पर सहमति से करें और उनके द्वारा निर्दिष्ट तारीख से आपूर्ति की जाने वाली भंडार सामग्री इस प्रकार बदलाव की गई ड्राइंगों और विनिर्देशों के अनुसार होगी, बशर्ते यदि ऐसे किसी बदलाव में उत्पादन लागत या उत्पादन के लिए आवश्यक अवधि में बढ़ाव या घटाव शामिल है, तो उस भंडार सामग्री के संबंध में, जिस पर यह बदलाव लागू होता है, ठेके की कीमत और/या सुपुर्दगी के लिए निर्धारित अवधि में संशोधन, परस्पर सहमति से किया जाएगा । अन्य प्रकार से, ठेका यथावत रहेगा ।

8. नमूने

8.1 किसी भी कारण से प्रस्तुत किए गए नमूनों की आपूर्ति निःशुल्क की जाएगी और उसके मालभाड़े का भुगतान किया जाएगा । वह नमूना अपने पास सुरक्षित रखने या उसे सही सलामत लौटाने की कोई जिम्मेदारी क्रेता की नहीं होगी । प्रस्तुत किए गए सभी नमूनों पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाने चाहिएं जिन पर ठेकेदार का नाम और पता तथा निविदा संख्या लिखी होनी चाहिए । यदि ठेकेदार अपनी निविदा के साथ कोई नमूना प्रस्तुत करता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसी स्तर/प्रकार के माल की आपूर्ति की जाएगी जब तक कि क्रय आदेश में स्पष्ट रूप से यह न लिखा हो कि सीलबंद पैटर्न के बजाय इसे स्वीकार कर लिया गया है । यदि क्रेता की ओर से कोई प्रमाणित नमूना ठेकेदार को दिया जाता है तो ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी प्रमाणित नमूनों को उनकी बिल्कुल सही दशा में लौटाएं और उन पर लगे हुए लेबल सही स्थिति में हो ।

9. पैकिंग

9.1 समुद्री मार्ग या वायुमार्ग, जो भी स्थिति हो, से परिवहन किए जाने के लिए ठेकेदार भंडार सामग्री को पर्याप्त रूप से तथा व्यवस्थित ढंग से अपनी लागत पर पैक करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

कि ठेके में विनिर्दिष्ट अंतिम गंतव्य पर पहुँचने तक उसे किसी भी प्रकार की हानि या क्षति नहीं होगी ।

9.2 जब तक कि ठेके में अन्यथा न दिया गया हो, उन सभी कंटेनरों (पैकिंग केसों, बक्सों, टिनों, ड्रमों तथा वेष्टनों सहित) को क्रेता की संपत्ति माना जाएगा जिनमें ठेकेदार द्वारा भंडार सामग्री की आपूर्ति की गई है, क्योंकि उसकी कीमत ठेके की राशि में शामिल होती है ।

10. निरीक्षण

10.1 ठेकेदार ठेके/क्रय आदेश तथा उसमें शामिल विनिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक निरीक्षणों तथा परीक्षणों के लिए जिम्मेदार होगा तथा उन्हें करवाएगा ।

10.2 क्रेता को यह विकल्प होगा कि वह ठेके के तहत आपूर्ति की जाने वाली भंडार सामग्री के निरीक्षण के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजे या अपनी पसंद की किसी गुणता निगरानी एजेंसी को प्राधिकृत तथा नामित करे, जिसें इसमें इसके बाद दोनों मामले में, इस उद्देश्य के लिए निरीक्षण कहा जाएगा ।

10.3 ठेकेदार भंडार सामग्री के निरीक्षण हेतु, उसके तैयार होने की सूचना निरीक्षक (उपरोक्त खण्ड 10.2 के तहत प्रतिनियुक्त) को देगा ताकि निरीक्षक अपेक्षित समय पर उपस्थित हो सके । ऐसी स्थिति में भंडार सामग्री की सुपुर्दगी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि क्रेता के निरीक्षक से सुपुर्दगी के लिए प्राधिकार-पत्र या शिपिंग रिलीज प्राप्त न हो ।

10.4 ठेकेदार निरीक्षक को निरीक्षण करने या ठेके के तहत सुपुर्दगी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा तथा फैक्टरी/कार्यशाला और रिकार्डों तक बिना किसी बाधा के पहुँचने देगा ।

11. जमानती जमा (भारतीय रुपयों में ठेकों के लिए)

11.1 प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर ठेकेदार को, आदेश दी गई भंडार सामग्री की कुल मूल लागत का 10% जमानती जमा हेतु बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करना होगा, इसमें कर और शुल्क शामिल नहीं है । यह बैंक गारंटी, आदेश/ठेके में उल्लिखित, ठेका पूर्ण होने की तारीख के बाद कम से कम 2 माह तक वैध होनी चाहिए । यह बैंक गारंटी क्रेता के फॉर्मेट के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर भारतीय स्टेट बैंक/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी क्षेत्र के बैंको अर्थात आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक द्वारा निष्पादित होनी चाहिए ।

11.2 जिन प्रस्तावों में ठेकेदार, जमानती जमा प्रस्तुत करने से मना करते है, वे प्रस्ताव अस्वीकार किए जा सकते हैं ।

12. सुपुर्दगी का समय तथा तारीख – ठेके का मूल तत्व

12.1 ठेके में उल्लिखित भंडार सामग्री की सुपुर्दगी के समय तथा तारीख को ठेके का मूल तत्व माना जाएगा तथा उसमें उल्लिखित तारीख/तारीखों तक सुपुर्दगी पूरी की जानी चाहिए ।

13. सुपुर्दगी समय को बढ़ाना

13.1 यदि हड़ताल, तालाबंदी, आग, दुर्घटना, दंगे जैसे किसी कारण या अन्य कारण से, जिसे क्रेता सुपुर्दगी समय बढ़ाए जाने के लिए समुचित आधार मानता है, भंडार सामग्री की सुपुर्दगी में विलंब होता है तो क्रेता परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए ऐसी अतिरिक्त अवधि बढ़ा सकता है जिसे वह आवश्यक समझता है ।

13.2 यदि ठेकेदार, सुपुर्दगी के लिए निर्धारित अवधि या पूर्वोक्त पैरा के अनुसार क्रेता द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि में भंडार सामग्री या उसके किसी अंश की या उसकी किसी किस्त की सुपुर्दगी करने में विफल होता है, या ऐसी अवधि समाप्त होने से पहले किसी समय ठेका छोड़ देता है तो निदेशक क्रय एवं भंडार, क्रेता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :

13.3 ठेकेदार से, सहमत परिसमापन क्षतिपूर्ति के रूप में, प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए जिसके दौरान ऐसी भंडार सामग्री की सुपुर्दगी न हो पाई हो लेकिन जहाँ पर उक्त अवधि की समाप्ति के बाद इसकी सुपुर्दगी स्वीकार की गई हो, उस भंडार सामग्री की कीमत के 2% के बराबर की राशि वसूल करें जिसे ठेकेदार ठेके में सुपुर्दगी के लिए निर्धारित अवधि के अंदर या पैराग्राफ 13.1 में उल्लिखित अतिरिक्त अवधि के अंदर सुपुर्द करने में विफल हो चुका है, (उक्त खण्ड के तहत विलंब से प्राप्त आपूर्ति की क्षति की गणना करने के लिए, संपूर्ण संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/इन्स्ट्रुमेंट की लागत पर विचार किया जाएगा यदि संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/ इन्स्ट्रुमेंट का, आपूर्ति के विलंब से प्राप्त भाग की कमी के कारण अपेक्षित उपयोग नहीं किया जा सका) यह राशि अर्थदण्ड के रूप में नहीं वसूली जाएगी । **या**

13.4 लागू सामान्य परिसमापन क्षतिपूर्ति के 10% तक की टोकन परिसमापन क्षतिपूर्ति, क्रेता के स्व-विवेक पर ठेकेदार से वसूल करें ।

13.5 सुपुर्द न की गई भंडार सामग्री या उस भंडार सामग्री का विनिर्देशन ठेके में जैसा निर्दिष्ट है, बिल्कुल वैसे ही विवरण वाली भंडार सामग्री, निदेशक, क्रय एवं भंडार की राय में, क्रय के लिए तुरंत उपलब्ध न होने की स्थिति में समान विवरण वाली भंडार सामग्री का क्रय, ठेकेदार को सूचित किए बिना तथा ठेकेदार के खर्च और जोखिम पर कहीं और से करें या क्रय करने के लिए किसी और को प्राधिकृत करें तथा जिस भाग/किस्त की सुपुर्दगी का निर्धारित समय अभी नहीं हुआ है उनके लिए ठेका रद्द न करें । इस मामले में निदेशक, क्रय एवं भंडार की राय फाइनल होगी । **या**

13.6 ठेका या उसका अंश रद्द करे और अगर वे चाहें तो सुपुर्द न की गई भंडार सामग्री या उस भंडार सामग्री का विनिर्देशन जैसा कि ठेके में निर्दिष्ट है, बिल्कुल वैसे ही विवरण वाली भंडार सामग्री, निदेशक, क्रय एवं भंडार की राय में क्रय के लिए तुरंत उपलब्ध न होने पर (निदेशक क्रय एवं भंडार की राय फाइनल होगी), समान विवरण वाली भंडार सामग्री का क्रय ठेकेदार के जोखिम तथा खर्च पर कहीं और से करें या क्रय करने के लिए किसी और को प्राधिकृत करें । यदि ठेकेदार, मूल ठेके के निष्पादन में चूक गया तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह जोखिम क्रय इन्क्वायरी के प्रत्युत्तर में उससे प्राप्त कोटेशन को अस्वीकार कर दे चाहे वह कोटेशन निम्नतम ही क्यों न हो ।

13.7 यदि उपरोक्त खण्ड 13.5 या 13.6 के तहत कार्रवाई की जाती है तो इस प्रकार की कार्रवाई करने के कारण क्रेता को होने वाली हानि के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा बशर्ते 'पुन: क्रय' या यदि 'पुन: क्रय' के लिए कोई करार किया गया हो तो ऐसा करार क्रय की प्रकृति/गुणता के आधार पर इस प्रकार की असफलता की तारीख से उचित समयावधि के अंदर किया गया हो और सुपुर्दगी की उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले ठेका छोड़े जाने के मामले में, इस प्रकार के क्रय के फलस्वरूप यदि कोई लाभ होता है तो ठेकेदार उसे पाने का हकदार नहीं होगा । इस प्रकार के क्रय का तरीका तथा पद्धति निदेशक, क्रय एवं भंडार के विवेकानुसार होगी । क्रेता के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे क्रय के लिए ठेकेदार को सूचित करे ।

14. दोषपूर्ण भंडार सामग्री में सुधार और उसे बदलना

14.1 यदि निरीक्षक पाता है कि ठेकेदार ने खराब या अपूर्ण कार्य किया है तो निरीक्षक ठेकेदार को ऐसे दोषों की सूचना देगा और ऐसे दोषों या कमियों का विवरण प्राप्त होने पर अपने खर्चे पर सात दिन के अंदर या ऐसे समय के अंदर जिसकी परस्पर सहमति हो और जो यथोचित आवश्यक हो, निविदा विनिर्देशों में यथाअपेक्षित मानक और विनिर्देशों की भंडार सामग्री में बदलाव करेगा, पुनःनिर्माण या पुनःउत्पादन करेगा ।

15. निष्पादन प्रमाणित करने का निरीक्षक का प्राधिकार

15.1 उपरोक्त खण्ड 10.2 के तहत जहाँ पर भी क्रेता द्वारा निरीक्षक को भेजा जाता है, वहाँ पर निरीक्षक को निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

15.2 भंडार सामग्री या उसके अंश को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले यह प्रमाणित कर सकता है कि वह ठेके के अनुरूप नहीं हो सकती है क्योंकि उसके विनिर्माण के लिए असंतोषजनक तरीका अपनाया गया है ।

15.3 निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किसी भी भंडार सामग्री को या उसके अंश को, विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर, अस्वीकार कर सकता है ।

16 अस्वीकार करने के परिणाम

16.1 निरीक्षक द्वारा या परेषिती द्वारा गंतव्य पर भंडार सामग्री अस्वीकृत किए जाने पर ठेकेदार, सुपुर्दगी के लिए निर्धारित अवधि के अंदर यदि संतोषजनक आपूर्ति करने में असफल हो जाता है तो निदेशक, क्रय एवं भंडार :

16.2 अस्वीकृत भंडार सामग्री के बदले नई भंडार सामग्री निर्धारित समय के अंदर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति ठेकेदार को दे सकता है । ठेकेदार इस प्रकार बदल कर दी गई भंडार सामग्री के मालभाड़े का वहन करेगा और इस कारण किसी अतिरिक्त भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा । या

16.3 क्रेता, खण्ड 13.5 या 13.6 में दिए गए उपायों का सहारा ले सकता है ।

17. बकाया राशि की वसूली

17.1 यदि इस ठेके के तहत या के कारण ठेकेदार द्वारा धनराशि का भुगतान किए जाने के लिए कोई दावा सामने आता है, चाहे वह दावा परिसमापन हो या नहीं, तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह, यदि

ठेके के लिए जमानत ली गई है तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत जमानती जमा से उस धनराशि की पूरी या आंशिक वसूली करे । यदि जमानत अपर्याप्त है या ठेकेदार से कोई जमानत नहीं ली गई है तो बकाया या कुल धनराशि की वसूली, क्रेता से किए गए इस या अन्य किसी ठेके के तहत इसके बाद किसी भी समय ठेकेदार को देय धनराशि से करें । यदि यह राशि उतनी नहीं है जिससे अपेक्षित पूर्ण धनराशि वसूल हो जाए तो, ठेकेदार को, मांगे जाने पर बकाया धनराशि का भुगतान क्रेता को करना होगा । उसी प्रकार, यदि क्रेता से किए गए किसी अन्य ठेके के तहत क्रेता का ठेकेदार पर कोई दावा है या क्रेता कोई दावा करता है, चाहे वह परिसमापन हो या नहीं, ठेकेदार को ठेके के तहत देय सभी धनराशियों का जमानती जमा सहित भुगतान तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक क्रेता के ऐसी सभी दावों का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता और ठेकेदार द्वारा इनका भुगतान नहीं कर दिया जाता ।

18. अन्य ठेकों के दावों के संबंध में धारणाधिकार

18.1 क्रेता के साथ ठेकेदार द्वारा किए गए अन्य ठेके या निदेशक, क्रय एवं भंडार के माध्यम से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उक्त ठेकेदार के साथ किए गए किसी ठेके के कारण या ठेके के तहत धनराशि के भुगतान के लिए ठेकेदार के विरूद्ध क्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई दावा उत्पन्न हो, तो इस ठेके के तहत ठेकेदार को देय राशि तथा ऐसी राशि जिसका भुगतान किया जाना है, में से क्रेता द्वारा या निदेशक, क्रय एवं भंडार के माध्यम से ठेका करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उन दावों की राशि रोक कर रखी जा सकती है या धारणाधिकार के तहत धारित की जा सकती है ।

18.2 यह ठेके की सहमत हुई शर्त है कि इस खण्ड के अधीन क्रेता द्वारा इस प्रकार रोक कर रखी गई या धारित की गयी धनराशि, क्रेता द्वारा तब तक रोक कर रखी जाएगी या धारित की जाएगी जब तक कि इस ठेके या किसी अन्य ठेके से उत्पन्न हुए इस दावे पर या तो पारस्परिक समझौता नहीं हो जाता है या मध्यस्थ द्वारा इसका निर्णय नहीं कर दिया जाता और कि ठेकेदार, इस खंड के अधीन रोक कर रखी गई या धारित की गई धनराशि, जिसकी सूचना ठेकेदार को दी जा चुकी हो, के संबंध में इसी कारण से या किसी अन्य आधार पर ब्याज या क्षति, जो कुछ भी हो, का दावा नहीं करेगा ।

19. **वारंटी**

19.1 ठेकेदार वारंटी देता है कि ठेके के तहत आपूर्ति की जाने वाली भंडार सामग्री मटेरिअल, कारीगरी और विनिर्माण के संबंध में सभी दोषों और कमियों से मुक्त होगी एवं उच्चतम ग्रेड व ठेके के तहत इस प्रकार के भंडार के लिए स्थापित व सामान्यतः स्वीकृत मानकों के अनुरूप तथा पूर्णतः विनिर्देशों, ड्राइंगों या नमूनों, यदि कोई है, के अनुसार होगी एवं यदि प्रचालन के लिए है तो इसका प्रचालन ठीक प्रकार से होगा । यह वारंटी, ठेके के तहत भंडार सामग्री के अंतिम लॉट के, ठेके में निर्धारित अंतिम गंतव्य पर प्राप्त होने की तारीख से 12 माह बाद (ऐसी तारीख से पहले ठेकेदार को अधिसूचित शिकायतों को छोड़कर) समाप्त हो जाएगी ।

19.2 यदि ठेके के तहत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई भंडार सामग्री में कोई दोष या कमी भारत में भंडार सामग्री की प्राप्ति की तारीख से 12 माह के अंदर पता चलती है तो क्रेता द्वारा ऐसे दोषों या कमी की सूचना देने पर, ठेकेदार, ऐसे सभी दोषों , कमियों या असफलताओं को ठीक करने के लिए उपाय करेगा जिसकी लागत का खर्च क्रेता पर नहीं डालेगा । यदि ठेकेदार भंडार सामग्री को ठीक

करने/मरम्मत करने के लिए भंडार सामग्री को अपनी कार्यशाला में वापस ले जाने का चयन करता है तो ठेकेदार क्रेता के फॉर्मेट के अनुसार भंडार सामग्री की लागत के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा जो सुधार/मरम्मत की गई भंडार सामग्री को स्वीकार किए जाने तक वैध होगी । वारंटी अवधि को फिर से उस समय तक के लिए बढ़ाया जाएगा जब तक भंडार सामग्री क्रेता को उपयोग के लिए उपलब्ध न हो । यदि ठेकेदार ऐसी सूचना के बाद, क्रेता की संतुष्टि होने तक ऐसे सभी दोषों, कमियों या असफलताओं को ठीक करने में चूक या विलंब करता है, तो क्रेता खण्ड 13.5 या 13.6, जो भी लागू हो, में दिए गए उपायों का सहारा ले सकता है ।

20 परमिट तथा लाइसेंस

20.1 ठेकेदार को, ठेके के तहत उसके दायित्वों का निष्पादन करने के संबंध में जन प्राधिकारियों के सभी कानूनों, अध्यादेशों तथा नियमनों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक सभी लाइसेंस तथा परमिट स्वयं प्राप्त करने होंगे तथा उसके लिए भुगतान करना होगा । ऐसा कोई भी लाइसेंस तथा परमिट प्राप्त करने तथा उसके लिए भुगतान करने से ठेकेदार यदि चूक जाता है या लागू किसी या सभी कानूनों, अध्यादेशों तथा नियमनों का पूर्णत: अनुपालन करने में चूक जाता है तो उसके परिणामस्वरूप क्षति और देयता के संबंध में किए गए सभी दावों से तथा वैधानिक उत्तरदायित्वों से क्रेता को बचाएगा तथा पूरी क्षति के लिए वही उत्तरदायी होगा ।

21. पेटेंट संबंधी वैधानिक उत्तरदायित्वों से बचाना

21.1 ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी भंडार सामग्री से संबंधित किसी भी डिजाइन योजनाओं (design plans), आरेखों (diagrams), ड्राइंगों के पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन के कारण या ठेके के तहत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी भंडार सामग्री के निर्माण के लिए अपनायी गयी किसी भी पद्धति और प्रक्रिया के विरूद्ध और उसके कारण किए गए/उत्पन्न किसी भी तथा सभी दावों, कार्रवाइयों, लागतों, आरोपों तथा खर्चों का वहन ठेकेदार करेगा तथा उनके वैधानिक उत्तरदायित्वों से क्रेता को बचाएगा ।

21.2 यदि उपरोक्त खण्ड 21.1 में संदर्भित मामले के संबंध में क्रेता के विरूद्ध कोई दावा किया जाता है या उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, तो ठेकेदार को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए तथा ठेकेदार अपने खर्च पर उसके निपटान के लिए तथा उससे उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से निपटने के संबंध में जो भी बातचीत/चर्चा की जानी हो, करेगा ।

21.3 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिजाइनों, ड्राइंगों, योजनाओं या आरेखों या निर्माण के तरीके या प्रक्रिया से पेटेंट या किसी अन्य संरक्षित अधिकारों का उल्लंघन होने और उनके उपयोग पर पाबंदी लगने की स्थिति में ठेकेदार, उनका उपयोग जारी रखने का अधिकार क्रेता के लिए खरीदेगा जिसके लिए क्रेता से कोई राशि नहीं लेगा या जहाँ तक संभव हो उन्हें रीप्लेस करेगा ताकि उल्लंघन से बचा जा सके और यह क्रेता द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा या उनमें संशोधन करेगा ताकि वे उल्लंघनकारी न रहें, लेकिन ये संशोधन ऐसे होने चाहिए जिनसे क्रेता पूरी तरह संतुष्ट हो ।

21.4 इस खण्ड के प्रावधान, ठेके की पूर्णता, समाप्ति या रद्द होने के बाद भी प्रभावी रहेंगे, ठेकेदार के लिए बंधनकारी होंगे ।

22. भुगतान का तरीका और शर्तें

22.1 भारतीय रुपयों के अलावा अन्य मुद्रा में ठेकों का भुगतान

22.1.1 जब तक कि ठेके में इसका अन्यथा उल्लेख न हो, प्रत्येक ठेके में निर्दिष्ट क्रेता की बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 15 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान (कीमत में समाविष्ट कमीशन की राशि को छोड़कर जिसका भुगतान भारतीय एजेंट को क्रेता द्वारा सीधे किया जाना है) किया जाएगा :

1. शिपमेंट के सबूत के तौर पर यथास्थिति, नेगोशिएबिल बिल ऑफ लेडिंग या हवाई मार्ग (एयरवे) बिल

2. शिपमेंट के लिए इनवॉइस : 4 प्रतियाँ

3. पैकिंग सूची : 4 प्रतियाँ

4. मूल (उद्गम) देश का प्रमाणपत्र : 2 प्रतियाँ

5. क्रेता के निरीक्षक या निरीक्षण हेतु क्रेता द्वारा नामित गुणता निगरानी एजेंसी से प्राप्त शिपिंग रिलीज : 4 प्रतियाँ

6. गुणता प्रमाणपत्र, कैमिकल विश्लेषण के कार्य परीक्षण प्रमाणपत्र सहित, जहाँ भी लागू हो : 4 प्रतियाँ

7. क्रेता से शिपिंग प्राधिकार जहाँ भी आवश्यक हो

8. अनुभाग-II के खण्ड 36 में दिए प्रावधान के अनुसार संयंत्र /मशीनरी/उपस्कर/इन्स्ट्रुमेंट के संबंध में निष्पादन बंधपत्र हेतु, ठेके के मूल्य के 10% के लिए बैंक गारंटी ।

22.1.2 बैंक के माध्यम से अग्रेषित दस्तावेजों के विवरण सहित इनवॉइस की अग्रिम प्रति क्रय आदेश में उल्लिखित भुगतान प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए ताकि वे बिना विलंब के दावे का सत्यापन एवं दस्तावेजों को ऑनर कर सकें ।

22.1.3 ठेकेदार, भारत में सीमाशुल्क विभाग से क्लिअरेन्स पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्रेता को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा । ठेकेदार अपने बैंक के माध्यम से दस्तावेजों को क्रेता की बैंक को हवाई डाक से, बिना किसी विलंब के भेजने की व्यवस्था करेगा । वह यथास्थिति, नॉन-नेगोशिएबिल बिल ऑफ लेडिंग या हवाई मार्ग (एयरवे) बिल की तीन प्रतियाँ तथा इनवॉइस और पैकिंग सूची की एक प्रति निदेशक, क्रय एवं भंडार को सीधे अग्रेषित करने की भी व्यवस्था करेगा । यदि क्रेता को, उसके द्वारा उल्लिखित शिपिंग दस्तावेजों की प्राप्ति में हुए विलंब के कारण भारत में पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों को देय अर्थदण्ड के रूप में कोई अतिरिक्त खर्च या इस तरह का अन्य कोई खर्च वहन करना पड़ता है, तो ठेकेदार क्रेता द्वारा वहन किए गए ऐसे अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

22.1.4 बैंक प्रभार

22.1.4.1 जबकि क्रेता, भारत में अपने बैंकरों (भारतीय स्टेट बैंक) को देय बैंक प्रभार वहन करेगा, ठेकेदार भारत के बाहर देय सभी बैंक प्रभार वहन करेगा जिसमें परामर्श/संशोधन कमीशन संबंधी प्रभार भी शामिल होंगे ।

22.2 ठेकों के लिए भारतीय रुपयों में भुगतान

22.2.1 जब तक पार्टियों के बीच लिखित में अन्यथा सहमित न हो, भंडार सामग्री की सुपुर्दगी के लिए भुगतान, तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत किए जाने पर यथोचित समय के अंदर किया जाएगा । प्रत्येक सुपुर्दगी पर भंडार सामग्री के लिए भुगतान, माल के प्राप्त होने और निरीक्षण के बाद स्वीकार किए जाने पर क्रय आदेश में उल्लिखित दरों पर ठेकेदार को किया जाएगा । भंडार सामग्री प्राप्त होने के बाद निरीक्षण के लिए सामान्यतः 30 दिनों की अनुमति दी जाएगी ।

22.3 एजन्सी कमीशन

22.3.1 कीमत में समाविष्ट कमीशन की राशि, जो ठेकेदार के भारतीय एजेंटों को देय है, का भुगतान भारतीय एजेंटों से प्राप्त इन्वॉइस के आधार पर क्रेता द्वारा उन्हें समतुल्य भारतीय रूपयों में सीधे किया जाएगा । "क्रेता द्वारा माल प्राप्त किए जाने और अंतिम स्वीकृति दिए जाने के बाद भारतीय एजेंट को भुगतान रिलीज किया जाएगा और विनिमय दर के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा ।

22.3.2 ठेकेदार केवल उसी राशि के लिए इनवॉइस बनाएगा जो उसे निवल (नेट) देय हो अर्थात् इनवॉइस में समाविष्ट एजन्सी कमीशन की राशि, जिसका भुगतान क्रेता द्वारा भारतीय एजेंटों को सीधे किया जाएगा, का समावेश इनवॉइस बनाते समय नहीं करेगा । तथापि, ठेकेदार के इनवॉइस में उस राशि का अलग से उल्लेख होना चाहिए जो उनके भारतीय एजेंटों को कमीशन के रूप में देय है ।

23. बीमा (भारतीय रुपयों के अलावा अन्य मुद्रा में ठेकों के लिए)

23.1 वेअरहाउस से वेअरहाउस तक का पारगमन बीमा क्रेता अपने समुद्री बीमाकर्ता (अंडरराइटर्स) द्वारा करवाएगा जब तक कि किसी विशेष मामले में इसकी जिम्मेदारी विशेष रूप से ठेकेदार को न सौंपी गई हो ।

24. मार्किंग (भारतीय रुपयों के अलावा अन्य मुद्रा में ठेकों के लिए)

24.1 ठेके के तहत सुपुर्द किए गए प्रत्येक पैकेज को ठेकेदार द्वारा उसके खर्च पर पैकेज के तीन ओर से मार्क किया जाना चाहिए तथा ऐसी सभी मार्किंग स्पष्ट होनी चाहिए एवं उसमें भंडार सामग्री का विवरण तथा मात्रा, परेषिती(कनसाइनी) का नाम तथा पता, पैकेज का सकल तथा शुद्ध वजन, ठेकेदार का नाम, अंतिम गंतव्य, स्चार्ज का पोर्ट इत्यादि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए ।

24.1.1 मार्किंग सामान्यत: निम्न प्रकार से होगी

परेषिती(कनसाइनी) का नाम और पता	क्रय एवं भंडार निदेशालय, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, _____ _____

ठेका संख्या एवं तारीख	संख्या : ..... तारीख : .....
माल का संक्षिप्त विवरण	
वजन	
आयाम (डाइमेंशन)	
अंतिम गंतव्य	
डिस्चार्ज का पोर्ट	
पैकेज संख्या	

24.2 प्रत्येक पैकेज में एक पैकिंग नोट होगा जिस पर ठेकेदार का नाम और पता, ठेके/क्रय आदेश की संख्या और तारीख, परेषिती (कनसाइनी) का नाम और पता, भंडार सामग्री का विवरण और उस पैकेज में रखी गई मात्रा का उल्लेख होगा ।

24.3 यदि भंडार सामग्री उपर्युक्तानुसार पैक और/या मार्क न की गई हो और जिन मामलों में पैकिंग सामग्री विशेष रूप से निर्धारित की गई हो उनमें यदि ठेके की शर्त के अनुसार सामग्री प्रयुक्त न की गई हो तो खण्ड 10.2 के तहत क्रेता द्वारा नियुक्त निरीक्षक, भंडार सामग्री को अस्वीकार कर सकता है ।

25 ठेके को शासित करने वाले कानून (भारतीय रुपयों में ठेकों के लिए)

25.1 ठेका, भारत के तत्समय लागू कानून द्वारा शासित होगा । आपूर्ति की गई सभी भंडार सामग्री का चिह्नांकन (मार्किंग), वाणिज्यिक वस्तु चिह्नन से संबंधित भारतीय अधिनियमों की आवश्यकताओं तथा ऐसे अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने वाला होना चाहिए ।

26 न्यायालयों का क्षेत्राधिकार (भारतीय रुपयों में ठेकों के लिए)

26.1 इस ठेके से उत्पन्न किसी भी मामले को डील करने तथा उस पर निर्णय करने का अधिकार, इस दस्तावेज के खण्ड क्रमांक 28 के अधीन केवल उन्हीं न्यायालयों को होगा जिनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा में वह स्थान स्थित है जहाँ से क्रय आदेश जारी किया गया हो ।

27 मध्यस्थता

27.1 मध्यस्थता (भारतीय रुपयों में ठेकों के लिए)

27.1.1 यदि क्रय आदेश में दी गई इन शर्तों या किसी शर्त के कारण या इस ठेके के संबंध में कोई सवाल, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनके संबंध में निर्णय इन शर्तों में पहले ही विशेष रूप से दे दिया गया है) तो उपरोक्त खंड 26 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इसे एकमात्र मध्यस्थता के लिए निदेशक, क्रय एवं भंडार या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजा जाएगा । इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है या कि उसने उन मामलों पर कार्रवाई की है जिनसे ठेका संबंधित है या कि सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी ड्यूटी निभाते समय, उसने विवाद या मतभेद संबंधी किसी या सभी मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और ठेके के पक्षों पर बाध्यकारी होगा ।

27.1.2 यह ठेके की शर्त है :-

27.1.2.1 यदि मध्यस्थ निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय हों (i) यदि उनका स्थानांतरण हो जाए या त्यागपत्र देने के कारण या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाए तो यह कानूनी होगा कि कार्यालय में उनका उत्तराधिकारी स्वयं आगे कार्रवाई करे या मध्यस्थ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करे; या (ii) यदि वे किसी कारण से कार्य करने के अनिच्छुक हों या नहीं कर पा सक रहे हों, तो यह कानूनी होगा कि निदेशक, क्रय एवं भंडार मध्यस्थ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करें ।

27.1.2.2 यदि निदेशक, क्रय एवं भंडार द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वह कार्य करने में लापरवाही दिखाए या कार्य करने से मना कर दे या त्यागपत्र दे दे या किसी और कारण से कार्य नहीं कर पाए तो यह कानूनी होगा कि निदेशक, क्रय एवं भंडार स्वयं अगली कार्रवाई करें या बहिर्गामी मध्यस्थ के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करें ।

27.1.2.3 उपरोक्त के अनुसार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और इसके अधीन बनाये गये नियम और इस संबंध में तत्समय लागू इसके कोई सांविधिक संशोधन, इस खंड के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू माने जाएंगे । मध्यस्थ को यह अधिकार होगा कि वह क्रेता और ठेकेदार की सहमति से निर्णय करने और उसे प्रकाशित करने के समय को बढ़ा दें । मध्यस्थता का स्थान वही होगा जो क्रेता अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित करेगा ।

27.2 **मध्यस्थता** (भारतीय रुपयों को छोडकर अन्य मुद्रा में ठेकों के लिए)

27.2.1 वर्तमान ठेके के संबंध में उत्पन्न सभी विवादों का अंतिम रूप से निपटान अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल की सुलह और मध्यस्थता नियमावली के अधीन, उक्त नियमावली के अनुसार नियुक्त एक या अधिक मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा ।

28. क्रेता के अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करना

28.1 ठेके के तहत क्रेता के सभी अधिकारों, विवेकाधीन निर्णयों और शक्तियों का प्रयोग क्रय एवं भंडार निदेशालय के निदेशक, क्रय एवं भंडार; उप निदेशक, क्रय एवं भंडार; क्रय अधिकारी, सहायक क्रय अधिकारी या निदेशक, क्रय एवं भंडार की ओर से ठेका किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और साथ ही उपरोक्त अधिकारियों/व्यक्तियों द्वारा क्रेता की ओर से सभी सूचनाएं भी दी जाएंगी तथा सभी ठेकों की इन सामान्य शर्तों में दिए गए निबंधनों और शर्तों के संबंध में क्रेता की किसी राय के संदर्भ का मतलब इस खंड में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति की राय का संदर्भ होगा और इसे इसी रूप में समझा जाएगा, इसका इसी तरह अर्थ लगाया जाएगा ।

<u>अनुभाग– II</u>

<u>संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति को अधिशासित करने वाले ठेकों की विशेष शर्तें</u>

उपरोक्त अनुभाग-। में दी गई, ठेकों की सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशेष शर्तें भी संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/विनिर्मित उपस्कर की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले ठेकों पर लागू होंगी । अनुभाग-**II** में दी गई ये विशेष शर्तें अनुभाग-**I** की शर्तों को ओवरराइड करेंगी ।

29. पूर्णता की जिम्मेदारी

29.1 कोई भी फिटिंग या उप-साधन जिसका उल्लेख ठेके के निविदा विनिर्देशों में विशेष तौर पर नहीं किया गया हो लेकिन जो आवश्यक हों , उसे ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा संयत्र/मशीनरी/उपस्कर/इन्स्ट्रुमेंट हर तरह से पूर्ण होना चाहिए ।

30 **फाइनल परीक्षण**

31.1 निष्पादन के संबंध में फाइनल परीक्षण तथा गारंटी, इंस्टालेशन कार्य पूर्ण होने के एक माह के अंदर आरम्भ किए जाएं ।

31 **दोषपूर्ण संयंत्र अस्वीकार करना**

31.1 यदि पूर्ण हुआ संयंत्र या इसका कोई भाग, अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने से पहले, दोषपूर्ण पाया जाता है या यह ठेके की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो क्रेता ठेकेदार को ऐसे दोष या असफलता का विवरण देते हुए तुरंत नोटिस देगा और ठेकेदार दोषपूर्ण संयंत्र को तुरंत ठीक करेगा या ठेके की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए उसमें बदलाव करेगा । यदि ठेकेदार समुचित समय के अंदर ऐसा नहीं करता है तो क्रेता सम्पूर्ण संयंत्र या इसका कोई भाग, यथास्थिति, जो दोषपूर्ण हो या जो ठेके की आवश्यकताओं की पूर्ति न करता हो, अस्वीकार कर सकता है और ठेकेदार की लागत पर रिप्लेस कर सकता है । क्रेता द्वारा ऐसा रिप्लेसमेंट समुचित समय में तथा उचित कीमत पर और जहाँ तक संभव हो पहले जैसे विनिर्देशों और स्पर्धात्मक स्थितियों के तहत किया जाएगा । ठेकेदार, ठेके में दिए प्रावधानों के अनुसार, सुपुर्द किए गए और/या इरेक्ट किए गए ऐसे रिप्लेसमेंट की अतिरिक्त लागत (यदि कोई हो तो) का भुगतान क्रेता को करने के लिए उत्तरदायी होगा, यह अतिरिक्त लागत ऊपर दिए गए प्रावधानों के तहत ऐसे रिप्लेसमेंट के लिए क्रेता द्वारा भुगतान की गई कीमत और उसके लिए ठेके की कीमत के बीच का अंतर होगा । ठेकेदार, ऐसे दोषपूर्ण संयंत्र के संबंध में, क्रेता द्वारा ठेकेदार को भुगतान की गई सभी धनराशि क्रेता को वापस (रिफंड) करेगा ।

32. वारंटी

32.1 संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/इन्स्ट्रुमेंट का प्रचालन आरम्भ होने के बाद 12 माह की अवधि के दौरान (या संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/इन्स्ट्रुमेंट की प्रकृति के आधार पर परस्पर सहमत एक यथोचित लंबी अवधि, जो अंतिम बडे शिपमेंट की तारीख से गिनी जाए, के दौरान) ठेकेदार उन सभी दोषों के लिए जिम्मेदार होगा, जो ठेके में दी गई शर्तों के तहत और उचित ढंग से उपयोग के तहत, संयंत्र में दोषपूर्ण सामग्री, डिजाइन या कारीगरी के कारण या ठेकेदार द्वारा संयंत्र का दोषपूर्ण इरेक्शन किए जाने से, उत्पन्न हुए हों या अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुए हों । ऐसे दोषों को ठीक किए जाने की मांग क्रेता द्वारा किए जाने पर ठेकेदार अपनी लागत पर उन्हें ठीक करेगा । क्रेता ऐसे दोषों के बारे में लिखित में सूचित करेगा ।

32.2 यदि इस खण्ड के तहत दोष-सुधार के उद्देश्य से संयंत्र के दोषपूर्ण भागों को रिप्लेस करना या उनका नवीकरण करना ठेकेदार के लिए आवश्यक हो जाता है तो इस खण्ड के प्रावधान, ऐसे रिप्लेसमेंट या नवीकरण की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने तक या ऊपर उल्लिखित 12 माह की

अवधि समाप्त होने तक, जो भी बाद में हो, इस प्रकार रिप्लेस या नवीकरण किए संयंत्र के भागों पर लागू होंगे । यदि यथोचित समय के अंदर किन्हीं दोषों में सुधार नहीं किया गया तो क्रेता, ठेकेदार के जोखिम और खर्चे पर दोष-सुधार करवाने के लिए कार्रवाई कर सकता है लेकिन इससे खण्ड 13.5 या 13.6 में दिए प्रावधानों के अनुसार, ऐसे दोषों के संदर्भ में ठेकेदार पर कार्रवाई करने के क्रेता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

32.3 वारंटी अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए सभी निरीक्षण, समायोजन, रिप्लेसमेंट या नवीकरण ठेके में दी गई समान शर्तों के अधीन होगा ।

32.4 ठेकेदार, हिस्से-पुर्जों का उत्पादन बंद होने से पहले, क्रेता को पर्याप्त समय रहते अग्रिम सूचना देगा ताकि क्रेता यदि चाहे तो, एक लॉट में हिस्से-पुर्जों की अपनी आवश्यकता का आदेश दे सके ।

32.5 ठेकेदार यह गारंटी भी देगा कि यदि हिस्से-पुर्जों का उत्पादन बंद किया जाता है, तो वह, आवश्यकता पड़ने पर क्रेता को उपकरण के हिस्से-पुर्जों के ब्लू-प्रिंट, आरेख तथा सामग्री के विनिर्देशन नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा, ताकि क्रेता अन्य स्रोतों से हिस्से-पुर्जों का फैब्रिकेशन या प्रापण करवा सके ।

32.6 इस खंड के प्रावधान, ठेके के पूरा होने या समाप्त होने के बाद भी तब तक ठेकेदार पर लागू रहेंगे तथा बाध्यकारी होंगे जब तक, ठेके के तहत आपूर्ति किए गए संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर का उपयोग क्रेता द्वारा किया जा रहा है ।

33. **इरेक्शन तथा कमिशनन**

33.1 जिन मामलों में, ठेके में , क्रेता के परिसर में इरेक्शन और कमिशनन के पर्यवेक्षण या क्रेता के परिसर में परीक्षण का प्रावधान है, उन सभी में, क्रेता, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ऐसे कामगार, सामग्री, ईंधन, भंडार सामग्री, उपकरण और इन्स्ट्रुमेंट ठेकेदार को नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा जो इरेक्शन तथा कमिशनन के पर्यवेक्षण का काम और आवश्यक परीक्षण का काम कुशलतापूर्वक करने के लिए समय-समय पर आवश्यक हों तथा जिसकी ठेकेदार द्वारा यथोचित मांग की जाए । ऐसे ठेकों के मामले में जिनमें कार्यस्थल पर इरेक्शन कार्य, कमिशनन तथा परीक्षण कार्य पूरा करने के लिए बिजली की आवश्यकता है, ठेकेदार को बिजली की नि:शुल्क आपूर्ति की जाएगी ।

33.2 इस खण्ड के तहत क्रेता द्वारा की गई कार्रवाई से, ठेकेदार, ठेके के तहत उसकी वारंटी बाध्यताओं से मुक्त नहीं होगा ।

34. **प्रशिक्षण**

34.1 यदि निदेशक, क्रय एवं भंडार आवश्यक समझते हैं तो, ठेकेदार को, क्रेता के, भारत से आए अभियंताओं तथा तकनीकी कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए एवं ठेके/भंडार सामग्री की विनिर्माण की संपूर्ण अवधि के दौरान विनिर्माण प्रक्रिया में उनके सक्रिय एसोसिएशन के लिए सुविधा प्रदान करनी होगी तथा ऐसे कार्मिकों की संख्या परस्पर सहमति से तय की जाएगी ।

35. भुगतान का तरीका (केवल उन ठेकों के लिए लो भारतीय रूपया मुद्रा में हों)

35.1 जब तक कि क्रेता और ठेकेदार के बीच अन्यथा लिखित सहमति न हो, निरीक्षक द्वारा अनुमोदित संयंत्र की सुपुर्दगी के संबंध में भुगतान, निम्नानुसार किया जाएगा :

35.2 प्रयोक्ता अनुभाग द्वारा प्रारंभिक निरीक्षण के बाद, जितनी जल्दी संभव हो सके, सुपुर्द प्रत्येक परेषण (कनसाइनमेंट) की ठेका कीमत का 80% ।

35.3 फाइनल निरीक्षण, परीक्षण तथा स्वीकृति के बाद, जितनी जल्दी संभव हो सके, ठेका कीमत का 20% तथा इरेक्शन, यदि कोई हो, तो उसकी लागत ।

35.4 कानून तथा इन शर्तों के अंतर्गत अन्य उपायों के अतिरिक्त, क्रेता का उस प्रत्येक परेषण पर पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) होगा, जिनके लिए 80% का भुगतान किया जा चुका है ताकि यदि ठेके की शर्तों या कानून के अधीन यह धनराशि वापसी योग्य हो जाए तो उसकी धन वापसी सुनिश्चित हो सके तथा ठेके या कानून के अधीन किसी अन्य देयता का भुगतान सुनिश्चित हो सके ।

36. **निष्पादन बंध-पत्र बैंक गारंटी**

36.1 संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, इन्स्ट्रुमेंट आदि के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति होने पर, ठेकेदार को सभी वैधानिक उगाहियों तथा ठेके में सहमत अन्य प्रभारों सहित भंडार सामग्री के कुल मूल्य की 10% राशि के बराबर राशि की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी । यह बैंक गारंटी, क्रेता के फॉरमैट के अनुरूप उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तथा संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, इन्स्ट्रुमेंट आदि के संतोषजनक निष्पादन की वारंटी अवधि की अंतिम तारीख की समाप्ति के 2 माह बाद तक वैध होनी चाहिए । यह बैंक गारंटी भारतीय स्टेट बैंक/किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक जैसे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी तथा एक्सिस बैंक की होनी चाहिए । यह निष्पादन बैंक गारंटी, वारंटी अवधि के दौरान संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, इन्स्ट्रुमेंट आदि के संतोषजनक निष्पादन के लिए प्रस्तुत करनी होगी ।

36.2 आईएनआर को छोड़कर अन्य मुदाओं (करंसी) में बोलियाँ होने पर, निष्पादन बंधपत्र बैंक गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की किसी भी बैंक से प्रस्तुत की जाए ।

37. संयंत्र की परिभाषा

37.1 शब्द "संयंत्र" जब भी "संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति को अधिशासित करने वाली, ठेके की विशेष शर्तें" में आए तो उससे तात्पर्य होगा - सभी मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर या उसके भाग या जो कुछ भी ठेकेदार क्रय आदेश में दिए अनुसार आपूर्ति करने के लिए सहमत हो ।

<u>भाग बी - ठेके की विशेष शर्तों का परिशिष्ट 'ए'</u>

<u>निष्पादन बंधपत्र</u>

<u>(ठेकेदार के बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु)</u>

भारत के राष्ट्रपति

(निदेशक, क्रय एवं भंडार के माध्यम से कार्यरत)

क्रय एवं भंडार निदेशालय

जबकि _____ के _____ दिवस को मेसर्स_____जिनका पंजीकृत कार्यालय_____में है, (इसमें इसके बाद 'ठेकेदार' कहा जाएगा), ने _____ के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए (इसमें इसके बाद 'ठेका' कहा जाएगा) भारत के राष्ट्रपति जो निदेशक, क्रय एवं भंडार, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से कार्यरत हैं (इसमें इसके बाद "क्रेता" कहा जाएगा) के साथ दिनांक _____ का करार संख्या _____ किया ।

और जबकि ठेके की निबंधन एवं शर्तों के तहत, _____ (इसमें इसके बाद 'उपस्कर' कहा जाएगा) के संतोषजनक निष्पादन हेतु ठेके के मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) राशि के बराबर की धनराशि _____ के लिए ठेकेदार द्वारा बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर ठेके के तहत धनराशि _____ का अंतिम भुगतान किया जाना है । यह बैंक गारंटी उक्त उपस्कर के प्रचालन की तारीख से 12 माह की अवधि या परेषण (कनसाइनमेंट) के अंतिम लॉट की प्राप्ति की तारीख से _____ माह की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए वैध होनी चाहिए ।

अब हम, _____ (बैंक) दिए गए वचनों और उक्त ठेके के तहत अंतिम/बकाया धनराशि ` _____ का भुगतान ठेकेदार को करने के लिए एततद्वारा सहमत हैं और उक्त उपस्कर के असंतोषजनक निष्पादन के कारण क्रेता को होने वाली हानि या क्षति के संदर्भ में ` _____ तक की राशि का भुगतान ऐसी माँग प्राप्त होने पर और बिना किसी आपत्ति

के, ठेकेदार की ओर से निदेशक, क्रय एवं भंडार, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग को करने का वचन देते हैं ।

और हम _____ (बैंक) एततद्वारा इससे भी सहमत हैं कि उक्त उपस्कर संतोषजनक निष्पादन दे रहा है या नहीं और उक्त उपस्कर के असंतोषजनक निष्पादन के कारण क्रेता को हुई हानि या क्षति की राशि कितनी है, इस संबंध में उक्त निदेशक, क्रय एवं भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, का निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा ।

और हम _____ (बैंक) एततद्वारा इससे भी सहमत हैं कि क्रेता और ठेकेदार के बीच हुए ऐसे किसी करार के कारण, जो हमारी जानकारी में और/या सहमति के साथ हो या न हो, या ठेके से संबंधित भुगतान, समय निष्पादन, या अन्य मामले, जो भी हो, के संबंध में क्रेता द्वारा ठेकेदार के प्रति उदारता या क्षमा दर्शाए जाने के कारण, इस प्रावधान के न होने पर, कानून के अधीन जमानत से मुक्ति मिल जाती हो तब भी , इसके तहत हमारे जो दायित्व हैं उनसे मुक्त नहीं होंगे ।

हमारी गारंटी _____ तक प्रभावी रहेगी और जब तक कि दिनांक (अर्थात _____) से छह माह के अंदर हमारे पास कोई दावा, गारंटी के तहत दर्ज नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत, क्रेता के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम यहाँ पर दिए गए अपने सभी दायित्वों से रिलीज तथा मुक्त हो जाएंगे ।

हमारे संघटन या ठेकेदार के संघटन में किसी प्रकार का काई परिवर्तन होने पर भी, इस गारंटी के तहत हमारी देयता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।

मुहर और हस्ताक्षर)

के लिए और की ओर से_____(बैंक)

दिनांक _____

निविदा प्रपत्र

क्रेता की निविदा पूछताछ सं. : _____
आपूर्तिकर्ता का प्रस्ताव सं. : _____
दिनांक : _____

प्रेषक _____

_____

सेवा में
सहायक क्रय अधिकारी/क्रय अधिकारी
क्रय एवं भंडार निदेशालय
परमाणु ऊर्जा विभाग
भारत सरकार

महोदय

मैंने/हमने भंडार सामग्री के संबंध में क्रेता के विनिर्देशों, 'निविदाकारों को अनुदेश', निविदाकरण शर्तों और प्रपत्र सं. क्रभनि पी-100 में दी गई 'ठेके की सामान्य शर्तों' एवं 'ठेके की विशेष शर्तों' को ध्यान से पढ़ लिया है । मैं/हम आपकी निविदा के विनिर्देशों के अनुरूप और ठेके की सामान्य शर्तों तथा भंडार सामग्री की आपूर्ति को शासित करने वाली ठेके की विशेष शर्तों के अनुसार भंडार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं ।

2. आपको यह छूट होगी कि आप हमारे द्वारा प्रस्तावित भंडार सामग्री की एक या एक से अधिक मदों को स्वीकार करें तथा मैं/हम क्रय आदेश/ठेके में विनिर्दिष्ट भंडार सामग्री की आपूर्ति के लिए बाध्य हूँगा/हूँगी/होंगे ।

3. मैं/हम निविदा खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि तक कीमत को आपकी स्वीकृति के लिए वैध रखने हेतु एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं ।

4. तकनीकी विनिर्देशों में प्रस्तावित अंतर का विवरण निविदा प्रपत्र के अनुलग्नक-ए में आपके विचारार्थ दिया गया है ।

5. मैं/हम, प्रस्तावित भंडार सामग्री से संबंधित सभी लीफलैट/कैटलॉग आदि भी संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं ।

भवदीय

संलग्न :

निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर